कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

फोन/फैक्स : 01376–232077,
ई:मेल :
dfotehri_ua@rediffmail.com

पत्रांक : 837 /12-1 नई टिहरी, दिनांक– 14/10/ 2020

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0–1,
नई टिहरी।

विषयः– **जनपद–टिहरी गढवाल के विकास खण्ड भिलंगना में मैगाधार–आली–सरूणा मोटर मार्ग का चौरा, करखेडी, कोट, घणातगांव होते हुए चांजी तक विस्तारीकरण कार्य हेतु स्टील गर्डर सेतु, सहित निर्माण कार्य हेतु 4.41 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/38456/2019)**

सन्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र) देहरादून का पत्र सं0–08बी/यू0सी0पी0/06/43/2020/एफ0सी0/1361, दिनांकः–29–09–2020 तथा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलानी, उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांकः–1094/FP/UK/ROAD/38456/2019, दिनांकः–09–10–2020।

महोदय,

जनपद–टिहरी गढवाल के विकास खण्ड भिलंगना में मैगाधार–आली–सरूणा मोटर मार्ग का चौरा, करखेडी, कोट, घणातगांव होते हुए चांजी तक विस्तारीकरण कार्य हेतु स्टील गर्डर सेतु, सहित निर्माण कार्य हेतु 4.41 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निम्न प्रकार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगाः–

1– **शर्त सं0–01** के अनुसार वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।

2– **शर्त सं0–02** के अनुपालन में परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।

3– **शर्त सं0–03–प्रतिपूरक वनीकरण** :–

क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ग्राम–सरूणा सिविल खसरा नं0–783, 897, 881, 871, 2067, 2156 में प्रतिपूरक वनीकरण एवं दस वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) मु0–29,73,963.00 (उन्तीस लाख तिहत्तर हजार नौ सौ त्रेसठ रूपये मात्र) जमा की जायेगी। वनीकरण हेतु धनराशि की मांग का विस्तृत आंकलन निम्न प्रकार हैः–

<u>प्रतिपूरक वनीकरण हेतु धनराशि के मांग का आंकलन</u>

1–प्रतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल – 8.82 है0
2–वर्ष 2020–21 हेतु निर्धारित दर – 3,37,184.00 (तीन लाख सैन्तीस हजार एक सौ चौरासी)
3–प्रतिपूरक वनीकरण हेतु कुल धनराशि की मांग– 8.82 है0X3,37,184.00=29,73,962.88 या 29,73,963.00
(उन्तीस लाख तिहत्तर हजार नौ सौ त्रेसठ रूपये मात्र)

ख) प्रतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित गैर वानिकी भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जाएगा। भूमि का हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही भारत सरकार द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। Guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं, को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत

क्रमशः – – 2 – –

विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है। उक्त भूमि को कब्जे में लिए जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी का भूमि को कब्जे में लिये जाने का प्रमाण–पत्र अमल–दरामद मय नक्शा, खसरें के प्रस्तुत करना होगा।

ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी प्रकार अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है।

4. **शर्त सं0–04–शुद्ध वर्तमान मूल्यः–**

(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नम्बर 556, दिनांकः–30–10–2002, 01–08–2003, 28–03–2008, 24–04–2008 एवं 09–05–2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (Pt.2), दिनांकः–18–09–2003, 5–2/2006–एफ0सी0, दिनांकः–03–10–2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0, दिनांकः–05–02–2009 में जारी दिशा–निर्देशानुसार मु0–37,26,450.00 (सैन्तीस लाख छबीस हजार चार सौ पचास रूपये मात्र) की धनराशि 4.41 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) जमा करना होगा। शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धराशि की मांग का आंकलन निम्नप्रकार हैः–

शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि का आंकलन

1–ईको–क्लास श्रेणी – V
2–हरियाली का घनत्व– 0.6
3–एन0पी0वी0 की दर प्रति है0 रूपये– 8,45,000.00 (आठ लाख पैन्तालिस हजार रूपये मात्र)
4–आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल – 4.41 है0
5–कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि–4.41है0X8,45,000.00=37,26,450.00

(सैन्तीस लाख छबीस हजार चार सौ पचास रूपये मात्र)

(ख) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को जमा करना होगा, इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा।

5– **शर्त सं0–05** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण वन भूमि में पेडों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 669 trees including 97 saplings से अधिक नही होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।

6– **शर्त सं0–06** के अनुपालन में State Govt. inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.

7– **शर्त सं0–07** के अनुपालन में परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।

8– **शर्त सं0–08** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

9– **शर्त सं0–09** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सडक के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।

10– **शर्त सं0–10** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।

11– **शर्त सं0–11** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जाएगा।

12– **शर्त सं0–12** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जाएगा।

क्रमशः — — 3 — —

13— शर्त सं0—13 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।

14— शर्त सं0—14 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।

15— शर्त सं0—15 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्तर्गत कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जायेगा।

16— शर्त सं0—16 के अनुपालन में इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।

17— शर्त सं0—17 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा।

18— शर्त सं0—18 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।

19— शर्त सं0—19 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या—11—42/2017—एफ0सी0 दिनांक—29—01—2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।

20— शर्त सं0—20 के अनुपालन में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय—समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

21— शर्त सं0—21 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण किया जायेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नही होगी।

22— शर्त सं0—22 के अनुपालन में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश/आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

23— शर्त सं0—23 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा रिपोर्ट ई—पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।

अतः भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या हार्ड कापी चार प्रतियों में मय संलग्नक इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

A.C-I
15/10/20
C-A-O.

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी

संख्या : / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः— अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड– I,पीएमजीएसवाई
नई टिहरी

Tele Phone No:- 01376-234594
Fax No:- 01376-234594
E-Mail ID:-eepmgsytehri1@rediffmail.com

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

पत्रांक :–5138/पी0एम0जी0एस0वाई0सि0ख0– I,/वनभूमि/प्रेषित/ दिनांक :–10/11/2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल।

विषयः– जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड भिलंगना में मेघाधार–आली–सरूणा मोटर मार्ग का चौंरा, करखेडी, कोट, घणातगांव होते हुये स्टील गर्डर सेतु, सहित निर्माण कार्य हेतु 4.410 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। (Online ProposalNo. FP/UK/ROAD/38456/2019)

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र) देहरादून का पत्र संख्या –08 बी/यू0सी0पी0/06/43/2020/एफ0सी0/1361 दि0 29.09.2020 तथा कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी वन प्रभाग नई टिहरी का पत्रांक 837/12–1 नई टिहरी दिनांक 14.10.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के एवं सहायक अभियन्ता द्वारा उपलब्ध करायी गयी अनुपालन आख्या के आधार पर अवगत कराना है कि विषयांकित प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति में अध्यारोपित शर्तो की अनुपालन आख्या निम्नानुसार है–

क्र0 सं0	शर्त	अनुपालन
1	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी	बिन्दु संख्या–01 की शर्त का अनुपालन मान्य है। (संलग्नक –01)
2	परियोजना के लिये आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जायेगी।	बिन्दु संख्या–02 की शर्त का अनुपालन मान्य है। (संलग्नक –02)
3	प्रतिपूरक वनीकरणः क) वन विभाग द्वारा प्रयुक्त अभिकरण की लागत पर 8.82 है0 गैर वानिकी भूमि ग्राम सरुणा सिविल खसरा न0–783, 897, 881, 871, 2067 2156 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहॉ तक व्यवहारिक हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाय, तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचे।	बिन्दु संख्या–03 (क) की शर्त का अनुपालन कार्यालय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग नई टिहरी से सम्बन्धित है।
	ख) प्रतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। Guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों के प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित /संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है। उक्त भूमि को कब्जे लिये जाने के सम्बन्ध में वन क्षेत्राधिकारी का भूमि को कब्जे में लिये जाने का प्रमाण–पत्र अमलदरामद मय नक्शा, खसरे के प्रस्तुत करना होगा।	बिन्दु संख्या–03 (ख) की शर्त का अनुपालन हेतु गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित व रूपान्तरित किया जा चुका है। भूमि का हस्तान्तरण नामान्तरण एवं Notification किया जा चुका है। गैर वानिकी भूमि को वन विभाग के द्वारा कब्जे में लिये जाने का अमल दरामद मय नक्शा खसरे सहित संलग्न है। (संलग्नक –03)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड– I,पीएमजीएसवाई
नई टिहरी

Tele Phone No:- 01376-234594
Fax No:- 01376-234594
E-Mail ID:-eepmgsytehri1@rediffmail.com

	ग) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षा रोपण कार्य नहीं किया गया।	बिन्दु संख्या–03 (ग) की शर्त का अनुपालन कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी नई टिहरी से सम्बन्धित है।
4	शुद्व वर्तमान मूल्य क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत के मा0 उच्च न्यायालय के WP (C) संख्या–202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10. 2002 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक–5–1/1998– एफ0सी0 (PT.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/ 2006– एफ0सी0 दिनांक 03.10. 2006 एवं 5–3/ 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार मु0 37,26,450.00 (सैन्तीस लाख छबीस हजार चार सौ पचास रूपये मात्र) की धनराशि 4.41 है0 वन क्षेत्र प्रतयावर्तन के लिये शुद्ध वर्तमान मुल्य (एन0पी0वी0) जमा करना होगा। शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि की मांग का आंकलन निम्नप्रकार है :– 1. ईको – क्लास श्रेणी –V 2. हरियाली का घनत्व – 0.6 3. एन0पी0वी0 की दर है0 रूपये – 8,45,000.00 (आठ लाख पैन्तालिस हजार रूपये मात्र) 4. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि – 4.41 है0 X 8,45,000.00 = 37,26,450.00 (सैन्तीस लाख छबीस हजार चार वौ पचास रूपये मात्र)	बिन्दु संख्या–4 (क) की शर्त के अनुपालन में भारत सरकार के पत्र संख्या–8बी/ यू0सी0पी0/06/43/2020/एफ0सी0/ 2020/ए0सी0/1361 दिनांक 29.09.2020 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 की निर्धारित धनराशि रू0 रू0 29,73,963.00 (उन्नतीस लाख तीहत्तर हजार नौ सौ तिरसठ रूपये मात्र) जमा की जा चुकी है। जमा की गई धनराशि की पुष्टि की छाया प्रति संलग्न है। (संलग्नक –04)
	ख) प्रयोक्त अभिकरण द्वारा विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर मा0 सर्वाच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्व वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को जमा करना होगा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।	बिन्दु संख्या–4 (ख) की शर्त का अनुपालन प्रयोक्ता ऐजेन्सी को मान्य है। शपथ पत्र संलग्न है। (संलग्नक –05)
5	प्रयोक्ता अभिकरण वनभूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 669 (Including 97 Saplings) पेड़ों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सक्त पर्यवेक्षण में काटेगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	बिन्दु संख्या–5 की शर्त के अनुसार न्यूनतम प्रभावित 669 (Including 97 Saplings) की पेड़ों की कटाई की निर्धारित धनराशि रू0 10,91,468.00 उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पक्ष में जमा की जा चुकी है। काटे गये पेडो की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 669 (Including 97 Saplings) पेड़ों से अधिक नहीं होगी प्रति संलग्न है। (संलग्नक –06)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड– I,पीएमजीएसवाई
नई टिहरी

Tele Phone No:- 01376-234594
Fax No:- 01376-234594
E-Mail ID:-eepmgsytehri1@rediffmail.com

6	State govt.will inform this office if they pass any order for tree cutting and commeneement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2.the state govt.will strctly monitor and ensure that no further actvity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	बिन्दु संख्या–06 की शर्त का अनुपालन कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी नई टिहरी से सम्बन्धित है।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https.parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानान्तरित/जमा किया जायेगा।	बिन्दु संख्या–7 की शर्त की अनुपालन में ई–पोर्टल के माध्यम से वन विभाग के द्वारा निर्धारित की गयी धनराशि प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा जमा की जा चुकी है। जिसकी छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक –07)
8	एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला अधिकारी से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	बिन्दु संख्या–8 की शर्त का अनुपालन मान्य है। एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन जिलाधिकारी से निर्धारित प्रमाण पत्र पर संलग्न है। (संलग्नक –08)
9	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेंगे।	बिन्दु संख्या–9 की शर्त का अनुपालन मान्य है। (संलग्नक –09)
10	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो, प्राप्त करेगा।	बिन्दु संख्या–10 लागू नही है। (संलग्नक –10)
11	केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना प्रस्ताव का ले आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	बिन्दु संख्या–11 की शर्त का अनुपालन मान्य है। (संलग्नक –11)
12	वनभूमि पर कोई श्रमिक शीविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	बिन्दु संख्या–12 की शर्त का अनुपालन मान्य है जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक –12)
13	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से प्रर्याप्त लकड़ी विशेषता वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	बिन्दु संख्या–13 की शर्त का अनुपालन मान्य है। (संलग्नक –13)
14	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रर्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।	बिन्दु संख्या–14 की शर्त का अनुपालन मान्य है। (संलग्नक –14)
15	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	बिन्दु संख्या–15 की शर्त का अनुपालन मान्य है। (संलग्नक –15)
16	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो लक्षित किया जायेगा।	बिन्दु संख्या–16 की शर्त का अनुपालन मान्य है। (संलग्नक –16)
17	वनभूमि का प्रयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिदृष्टि परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	बिन्दु संख्या–17 की शर्त का अनुपालन मान्य है। (संलग्नक –17)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड– I,पीएमजीएसवाई
नई टिहरी

Tele Phone No:- 01376-234594
Fax No:- 01376-234594
E-Mail ID:-eepmgsytehri1@rediffmail.com

18	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना पत्यार्वतन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य ऐजेन्सीयों विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	बिन्दु संख्या–18 की शर्त का अनुपालन मान्य है। (संलग्नक –18)
19	इसमें किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देशित फाईल संख्या–11–42/2017–एफसी दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	बिन्दु संख्या–19 की शर्त के अनुसार वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लघन नही किया जायेगा। शर्त की निर्देशानुसार अनुपालन सुनिश्चित की गयी है।
20	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण एवं विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।	बिन्दु संख्या–20 के अनुसार जो भी शर्त लागू होगी उसकी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
21	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वहविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का स्थानान्तरण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तह सीमा से नीचे ना गिरे राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थल एवं पुर्नजीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथास्थान रखने हेतु दीवार बनायी जायेगी। निस्तारण स्थल के राज्य वन विभाग को सौंपने से पूर्व इसका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	बिन्दु संख्या–21 की शर्त का अनुपालन मान्य है। मलवा निस्तारण स्वीकृत/प्रस्तावित स्थानो पर ही करना सुनिश्चित किया जायेगा।
22	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम / न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो इनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयुक्त ऐजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	बिन्दु संख्या–22 की शर्त का अनुपालन मान्य है। (संलग्नक –19)
23	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https.parivesh-nic-in) पर अपलोड की जायेगी।	बिन्दु संख्या–23 की शर्त का अनुपालन मान्य है।

अतः सैद्वान्तिक स्वीकृति में अध्यारोपित शर्तो की अनुपालन आख्या मय संलग्नकों के साथ, अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड–1,
नई टिहरी

उत्तराखण्ड शासन
वन अनुभाग–3
संख्या– 1026/X-3-22/1(51)/2020
देहरादूनः दिनांकः 29 सितम्बर, 2022

अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या–16 वर्ष 1927) की धारा 29 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रयोजनार्थ जिला टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में मैगाधार–आली–सरूणा मोटर मार्ग का चौंरा करखेडी, कोट, घणातगांव होते हुए चांजी तक विस्तारीकरण कार्य में हेतु स्टील गर्डन सहित निर्माण हेतु हस्तान्तरित कुल 4.41 है० आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी राज्य सरकार के स्वामित्व की श्रेणी–9(3)ड० (अन्य कारणों से बंजर भूमि) के 8.82 है० क्षेत्रफल जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है, को वन भूमि के साथ–साथ संरक्षित वन घोषित करते हैं:–

तालिका

क्र० सं०	जिला	ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	खसरा संख्या	कुल क्षेत्रफल (है०)	भूमि की किस्म
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	टिहरी गढ़वाल	सरूणा	ग्यारहगांव	29	1983 म0	0.987	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड0
					879	2.883	
					881	2.181	
					871	0.504	
					2067	1.011	
					2156	1.254	
					योग :–	8.82	

उपरोक्त क्षेत्र भू–अभिलेखों में वन विभाग के नाम नामान्तरित होने से किसी भी प्रकार की अधिकार एवं रियायतों के दावों से मुक्त है।

Signed by Vijay Kumar Yadav
Date: 29-09-2022 11:53:44

(विजय कुमार यादव)
सचिव।

संख्याः– 1026 /X-3-22/1(51)/2020,तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन महानिरीक्षक, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली।
2. प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।
7. जिलाधिकारी, जनपद–टिहरी गढ़वाल।
8. प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
9. उप जिलाधिकारी, टिहरी।

10. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रुड़की को साधारण गजट के विधायी परिशिष्ट खण्ड (व),भाग–4 में प्रकाशनार्थ।
11. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Satya Prakash Singh
Date: 29-09-2022 12:10:16

(सत्यप्रकाश सिंह)
उप सचिव।

—::आदेश::—

भारत सरकार पर्यावरण,वन एंव जलवायु परिर्वतन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं0 8बी/यू.सी.पी/06/43/2020/एफ.सी/1361 दिनांक 29.09.2020 के द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड भिलंगना मैगाधार–आली–सरूणा मोटर मार्ग का चौरा,करखड़ी,कोट,घ्यणातगांव होते हुए चांजी तक विस्तारीकरण कार्य हेतु स्टील गार्डर सेतु सहित निर्माण कार्य हेतु 4.41है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई हैं। जिसकी शर्त सं0 3(क) में उल्लेख किया गया हैं कि वन विभाग प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 8.82है0 गैर वानिकी भूमि ग्राम सरूणा सिविल खसरा सं0 783,897,881,871,2067,2156 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा।

उक्त के कम में इस कार्यालय के पत्र सं0 766/33सी 11–ए0एल0सी0–2 दिनांक 03.02.2021 के द्वारा उपजिलाधिकारी घनसाली को प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। जिस पर उपजिलाधिकारी घनसाली ने अपने पत्र सं0 1538/आर0ए0 दिनांक 30.09.2021 के द्वारा आख्या इस कार्यालय को प्रस्तुत की हैं। पुनः इस कार्यालय द्वारा आपत्ति इंगित कर स्पष्ट आख्या प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये। जिस पर जांच कर उपजिलाधिकारी घनसाली द्वारा अपने पत्र सं0 244/आर.ए–विविध दिनांक 22.12.2021 के द्वारा आख्या प्रस्तुत की हैं। जिसमें उल्लेख किया गया है कि मैगाधार–आली–सरूणा मोटर मार्ग निर्माण कार्य में वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में पत्रावली पर पूर्व में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु लैण्ड शेड्यूल के प्रारूप में कुल 06 खसरा स0 783,897,881, 871,2067,2156 प्रस्तावित किये गये। शेड्यूल में दर्ज खसरा सं0 783,रक्वा3.636हे0 एंव खसरा सं0 897 रक्वा 2.883हे0 कम्प्यूटर त्रुटि के कारण गलत दर्ज हैं।खसरा सं0 783 के स्थान पर 1983 रक्वा 3.636हे0 एंव 897 के स्थान पर 879 रक्वा 2.883हे0 दर्ज होना चाहिए तथा त्रुटिवश गलत दर्ज खसरा सं0783 एंव 897 ग्राम सरूणा के कास्तकारों की निजी भूमि हैं। संयुक्त निरीक्षण आख्यानुसार प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्न प्रकार हैं:–

ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	खसरा सं0	अर्जित रक्वा(है0)	भूमि की किस्म
सरूणा	ग्यारहगांव	29	1983म0	0.987	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड़
			879	2.883	
			881	2.181	
			871	0.504	
			2067	1.011	
			2156	1.254	
			योग–	8.82हे0	

प्रस्तावित मैगाधार–आली–सरूणा मोटर मार्ग का चौरा,करखड़ी,कोट, घ्यणातगांव होते हुए चांजी तक विस्तारीकरण कार्य हेतु स्टील गार्डर सेतु सहित निर्माण कार्य हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के दृष्टिगत शासनादेश सं0 2882/XVIII(II)/11–18(120)/2010 राजस्व अनुभाग–2 दिनांक 11 नवम्बर 2011 एंव शासनादेश सं0–2365/XVIII(II)/13–18(120)/2010 टी0सी0 दिनांक 14.10.2013 के द्वारा प्राप्त दिशा निर्देशानुसार प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष दुगुनी सिविल भूमि वन विभाग के नाम प्रत्यावर्तित किया जाना हैं। यह आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय एंव उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा, तथा याचक विभाग को निर्गत आदेश का अनुपालन करना होगा।

अतएव शासनादेश सं0:–2173/XVIII(II)/2012–18(120)/2010 राजस्व अनुभाग–2 के क्रम में उपजिलाधिकारी घनसाली के द्वारा प्रस्तावित किये गये उपरोक्त खसरा नम्बरान मध्ये कुल रक्वा 8.82हे0 सिविल भूमि उल्लिखित शासनादेशों के आलोक में व्यापक जनहित के दृष्टिगत वन विभाग के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरित की जाती हैं। तहसीलदार घनसाली तत्काल उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में नामान्तरित/इन्द्राजी करना सुनिश्चित करें।

(इवा आशीष श्रीवास्तव)
जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या: 161/XI-25 (2020–2021) दिनांक,नई टिहरी, जनवरी,20 2022

प्रतिलिपि:– निम्नाकिंत को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1:–सचिव, वन विभाग,उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2:–आयुक्त एंव सचिव, राजस्व परिषद्,उत्तराखण्ड, देहरादून।
3:–आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4:–नोडल अधिकारी,वन भूमि हस्तान्तरण, वन विभाग,उत्तराखण्ड देहरादून।
5:–प्रभागीय वनाधिकारी,टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
6:–अधिशासी अभियंन्ता,पी0एम0जी0एस0वाई0,सिचांई खण्ड नई टिहरी।
7:–उपजिलाधिकारी,घनसाली।
8:–तहसीलदार,घनसाली।

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

A.L.C-2

OC/ALC-II

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी
घनसाली।

सेवा में,

जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

संख्या 244/आर.ए.–विविध (2020–2021) दिनांक, घनसाली, दिसम्बर 22 ,2021

विषय– जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड भिलगंना में मैगाधार–आली –सरूणा मोटर मार्ग का चौरा करकडी, कोट, घणातगांव होते हुये चांजी तक विस्तारीकरण कार्य स्थल हेतु स्टील गार्डर सेतु सहित निर्माण कार्य हेतु 4.41 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के संबंध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयक कृपया जिला, कार्यालय के पृष्ठाकंन आदेश 1358/ए.एल.सी.–2/09.11.2021 का सन्दर्भ करने की कृपा करें जो, कि उक्त मोटर मार्ग के विस्तारीकरण से सम्बन्धित है। तथा इस कार्यालय के द्वारा पूर्व प्रेषित पत्र संख्या 1558/आर.ए./दिनांक सितम्बर 30,2021 इस आपत्ति के साथ लौटाया गया है कि प्रकरण में सैद्वान्तिक स्वीकृति मे खसरा संख्या एवं प्रेषित आख्या में खसरा संख्या भिन्न है। जिसमें जांच कर आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके अनुपालन मे तहसीलदार, घनसाली से जांच कर आख्या प्राप्त की गयी हैं तहसीलदार घनसाली ने अपनी आख्या निम्नवत् प्रस्तुत की हैः–

1– मैगाधार–आली–सरूणा मोटर मार्ग निर्माण कार्य में वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में पत्रावली पर पूर्व में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु लैण्ड शेड्यूल के प्रारूप मे कुल 06 खसरा नम्बर 783, 897, 881, 871, 2067, 2156 प्रस्तावित किये गये है।

2– शेड्यूल में दर्ज खसरा नम्बर 783, रक्वा 3.636 है0 एवं खसरा संख्या 897 रक्वा 2.883 है0 कम्प्यूटर त्रुटि के कारण गलत दर्ज है। खसरा संख्या 783 के स्थान पर 1983 रक्वा 3.636 है एवं 897 के स्थान पर 879 रक्वा 2.883 है0 दर्ज होना चाहिए तथा त्रुटिवश गलत दर्ज खसरा संख्या 783 एवं 897 ग्राम सरूणा के कास्तकारों की निजी भूमि है।

अतः आपत्ति के निराकरण के पश्चात तहसीलदार घनसाली की आख्या मूल मे संलग्न कर महोदया की सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

सलंग्न–यथोपरि।

भवदीय

उप जिलाधिकारी
घनसाली।

R.N. 1039
पंजिका सं0 13 दिनांक 24/12/24

प्रभारी अधिकारी
कृते जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल
24.12.2021

24/12/21

प्रेषक,

तहसीलदार,
घनसाली।

सेवा में,

उपजिलाधिकारी,
घनसाली।

संख्या–563/एम0जे0–संयुक्त निरी0 (21–22) घनसाली, दिनांक, दिसम्बर, 21 ,2021।

विषय जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड भिलंगंना में मैगाधार–आली–सरूणा मोटर मार्ग का चौरा करकड़ी, कोट, घणातगांव होते हुये चांजी तक विस्तारीकरण कार्य स्थल हेतु स्टील गर्डर सेतु सहित निर्माण कार्य हेतु 4.41 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या–1538/आर0ए0/विविध (20–21) दिनांक घनसाली सितम्बर, 30, 2021 पर जिला कार्यालय के पृष्ठांकन आदेश आर0नं0–1358/एएलसी–डी/09.11.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत प्रस्तावित भूमि में उल्लिखित खसरा नम्बरों में भिन्नता होने के करण स्पष्ट आख्या प्रस्तुत कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त विषयक के अनुपालन सम्बन्धित राजस्व उप निरीक्षक धौणीखाल से जांच करवायी गयी। राजस्व उप निरीक्षक धौणीखाल ने अपनी जांच आख्या निम्न प्रकार प्रस्तुत की है:–

01. यह कि मैगाधार–आली–सरूणा मोटर मार्ग निर्माण कार्य में वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में पत्रावली में पूर्व में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु लैण्ड शेडयूल के प्रारूप में कुल 06 खसरा नम्बर 783, 897, 881, 871, 2067, 2156 प्रस्तावति किये गये है।

02. यह कि शेड्यूल में दर्ज खसरा नम्बर 783 रक्बा 3.636 हे0, एवं 897 रक्बा 2.883 हे0, कम्प्यूटर त्रुटी के कारण गलत दर्ज है, खसरा नम्बर 783 के स्थान पर 1983 रक्बा 3.636 हे0 एवं 897 के स्थान पर 879 रक्बा 2.883 हे0 दर्ज होना चाहिए। गलत रूप से दर्ज खसरा नम्बर 783 एव 897 ग्राम सरूणा के कास्तकारों की निजी भूमि है।

अतएव राजस्व उप निरीक्षक धौणीखाल की जांच आख्या संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित है।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

तहसीलदार,
घनसाली।

सेवामें

श्रीमान तहसीलदार महोदय
तहसील - घनसाली
जिला - टिहरी गढ़वाल

विषय - पत्र संख्या 1538/आर॰ ए॰ विविध 2020-2021) दिनांक घनसाली 30 सितम्बर 2021, गैंगाधार आली सकुणा मोटर मार्ग के सम्बन्ध मे आख्या

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके आदेश के क्रम मे जांच आख्या निम्न लिखित है -

1 - यह कि गैंगाधार आली सकुणा मोटर मार्ग निर्माणकार्य मे वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध मे पत्रावली मे पूर्व मे क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु लैण्ड शेड्युल के प्रारूप मे कुल 06 खसरा नम्बर सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रस्तावित किए गए है। जो कि इस प्रकार है। खसरा नम्बर 783, 897, 881, 871, 2067, 2156

2 - यह कि शेड्युल मे दर्ज खसरा नम्बर 783, रकबा 3.636 है. एवं 897 रकबा 2.883 है कम्प्युटरी त्रुटि के कारण गलत दर्ज है। खसरा न॰ 783 के स्थान पर 1983 रकबा 3.636, एवं 897 के स्थान पर 879 रकबा 2.883 है॰ दर्ज होना चाहिए। गलत रूप से दर्ज खसरा नम्बर 783, एवं 897 ग्राम सकुणा के काश्तकारों की निजी भूमि है।

3 - यह कि चयनित खसरा नम्बरान के खसरा की नक्शा पूर्व ही पत्रावली के साथ संलग्न है।

अतः पत्रावली के सम्बन्ध मे जांच आख्या सेवा मे प्रस्तुत है।

1 - संलग्न पत्रावली

[signature] 11-2021

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र - बौंगाल

R.K.

कृ॰ पत्रावली के अवलोकनोपरान्त पत्रालेख तैयार करे।

[signature]
6/11/2021
Teh (Ghansali)

प्रेषक,
उप जिलाधिकारी
घनसाली।

सेवा में,
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

सख्या 1538 / आर.ए.– विविध 2020–2021) दिनांक, घनसाली, सितम्बर 30 ,2021

विषय– जनपद टिहरी गढवाल, के विकास खण्ड भिलगंना में मैगाधार, आली, सरूणा मोटर मार्ग का चौंरा,करकड़ी, कोट, धणातगांव होते हुये चांजी तक विस्तारीकरण कार्य स्थल हेतु स्टील, गार्डर सेतु निर्माण हेतु 4.41 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयक, कृपया जिला कार्यालय के पत्र संख्या–766 / xi–ए.एल.सी–2(2018–19) दिनांक, नई टिहरी, फरवरी 03,2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि जनपद, टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड,भिलगंना में मैगाधार, आली, सरूणा मोटर मार्ग का चौंरा,करकड़ी,कोट,धणातगाव होते हुये चांजी तक विस्तारीकरण कार्य स्थल हेतु स्टील गार्डर सेतु निर्माण हेतु 4.41 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में है। तथा प्रस्तावित भूमि की संयुक्त जांच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है, जिसके अनुपालन में नायब तहसीलदार घनसाली, राजस्व उप निरीक्षक, धौणीखाल, वन क्षेत्राधिकारी, भिलगंना रेंज एवं सहायक अभियन्ता पी.एम. जी.एस वाई, नई टिहरी के द्वारा उक्त स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया है।

अतः 4.41 है0 वन भूमि का गैर वानिकी, कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग, को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु संयुक्त निरीक्षण आख्या महोदया की सेवा मे अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्न –यथोपरि।

भवदीय
01/10/2021
उप जिलाधिकारी
घनसाली।

R.No. 1358/ALC-II/09/11/21

–मूल में वापस

उपजिलाधिकारी,
घनसाली,

'A' { क्र० सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित खसरा आपके द्वारा प्रस्तुत आख्या में उल्लेखित खसरे से भिन्न हैं, स्पष्ट आख्या सहित प्रस्तुत करें।

09/11/21
प्रभारी अधिकारी
कृते जि.लाधिकारी
टिहरी गढवाल।

तहसीलदार घनसाली
रजि० नग–11
R नग–217
दि० 20/11/2021
जांच कर आख्या प्रस्तुत करें।

SDM 20/11/2021

पंजिका सं० R 11
R-58

R.S.I धौणीखाल
प्रस्तुत करें, 'A' पर

तहसीलदार
22/11/21

प्रेषक,

तहसीलदार,
घनसाली।

सेवा में,

उपजिलाधिकारी,
घनसाली।

संख्या– 475 / एम0जे0–संयुक्त निरी0(21–22) घनसाली, दिनांक, सितम्बर, 28, ,2021।

विषय जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड भिलंगंना में मैगाधार–आली–सरूणा मोटर मार्ग का चौरा करकड़ी, कोट, घणातगांव होते हुये चांजी तक विस्तारीकरण कार्य स्थल हेतु स्टील गर्डर सेतु सहित निर्माण कार्य हेतु 4.41 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्रांक–632 / आर0ए0 / भूमि हस्ता0(20–21) दिनांक घनसाली फरवरी, 04, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत प्रस्तावित भूमि का संयुक्त निरीक्षण कर सुयंक्त जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त विषयक के अनुपालन में श्री राजेन्द्र सिंह नेगी नायब तहसीलदार घनसाली, श्री नरेन्द्र सिंह नेगी (राजस्व उप निरीक्षक) क्षेत्र धौणीखाल तहसील घनसाली, वन क्षेत्राधिकारी भिलगंना रेंज घनसाली टिहरी वन प्रभाग नई टिहरी, एस0पी0 बिजल्वाण (अतिरिक्त सहायक अभियन्ता) पी0एम0जी0एस0वाई0 नई टिहरी, रोहित श्रीवास्तव (सहायक अभियन्ता) पी0एम0जी0एस0वाई0 नई टिहरी के द्वारा दिनांक 06.02.2021 को संयुक्त निरीक्षण किया गया।

एतएव संयुक्त निरीक्षण आख्या मय नक्शा, खसरा मूल में संलग्न कर महोदय की सेवा में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न–संयुक्त निरीक्षण आख्या।
नक्शा, खसरा।

तहसीलदार घनसाली टिहरी गढ़वाल

भवदीय,

तहसीलदार,
घनसाली।

छोड़ें/गंजा

जिला स्तरीय समिति को सिविल भूमि हस्तान्तरण हेतु तहसील स्तरीय समिति की संयुक्त जांच रिपोर्ट तहसील घनसाली के विकासखण्ड–भिलंगना में आली सकरणा मोटरमार्ग के डिमारी करण कार्य तहसील– घनसाली, जनपद–टिहरी गढ़वाल ।

गैंगाधार आली–सकरणा मोटरमार्ग का नव निर्माण के स्थापना हेतु तहसील घनसाली पट्टी ग्यारहगांव ग्राम सकरणा मय बडियारकुडा खतोनी खाता संख्या 29 खसरा 1983 रक्बा 3.636 हे० म० 0.987 879 रक्बा 2.883 881 रक्बा 2.181, 871 रक्बा 0.504, 2067 रक्बा 1.011, 2156 रक्बा 1.254 में से कुल क्षेत्रफल 8.820 हे० भूमि उत्तराखण्ड सरकार की सिविल सोयम भूमि श्रेणी वर्ग 9,3(ड) क एंव ख को छोड़कर श्रेणी–9–(3)ड में दर्ज अभिलेख है को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के नाम हस्तान्तरित किये जाने की याचना की गयी है।

प्रस्तावित सिविल सोयम भूमि की अधिसूचना संख्या–866/X–3–2011/8(21)/2010, दिनांक 23.09.2011 एंव शासनोश संख्या–883/ X–3–2011/8(21)/2010, दिनांक 04.10.2011 एंव शासनादेश संख्या–2882/XVIII(11)II–18(120)/3–2010, दिनांक– 11 नवम्बर, 2011 के आलोक में ....जिला टिहरी गढ़वाल को आवंटित किये जाने हेतु तहसील स्तरीय समिति द्वारा आज दिनांक 06-02-2021 ...... पर संयुक्त निरीक्षण किया गया ।

संयुक्त निरीक्षण के दौरान समिति द्वारा पाया गया कि प्रस्तावित भूमि शब्दकोष के अनुसार वन नहीं है। सरकारी अभिलेख में वन दर्ज नहीं है एंव मौके पर वन स्वरूप नहीं है। यह भूमि उत्तराखण्ड के जिला टिहरी गढ़वाल के तहसील घनसाली पट्टी ग्यारहगांव ग्राम सकरणा मय बडियारकुडा के खसरा नम्बर 1983, 879, 881, 871, 2067, 2156 कुल रक्वा 11.469 हे0 में से कुल क्षेत्रफल 8.820 हैक्टेअर हे0 श्रेणी वर्ग 9(3)ड़. में बंजर दर्ज है। शासनादेश संख्या–2882/ XVIII(11)II–18(120)/3–2010, दिनांक– 11 नवम्बर, 2011 के अनुसार इस भूमि पर वन अधिनियम लागू नहीं है। प्रस्तावित परियोजना/भवन का निर्माण जनहित में कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः तहसील घनसाली पट्टी ग्यारहगांव ग्राम उपरोक्त तहसील स्तरीय संयुक्त निरीक्षण समिति द्वारा ग्रामसभा सकरणा के खाता संख्या 29 की 8.820 हैक्टेयर भूमि को PMGSY जिला टिहरी गढ़वाल को .... हेतु हस्तान्तरण/नामान्तरण किये जाने हेतु जिला स्तरीय संयुक्त जांच समिति को संस्तुति सहित प्रस्तावित करती है।

राजस्व निरीक्षक घनसाली

AA (PMGSY ID-1)

ग्राम प्रधान (रमेशप्रसाद डंगवाल)

Assistant Engineer
P.M.G.S.Y. ID-1
NEW TEHRI

नायब तहसीलदार
घनसाली
टिहरी गढ़वाल

22/09/21
वन क्षेत्राधिकारी
भिलंगना रेंज, घनसाली
टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी

उप जिलाधिकारी
घनसाली

नकल खसरा, राजस्व ग्राम- खरुणा मय बडियार कुडा पट्टी [illegible] तह0 धनसाली जिला टिहरी गढ़वाल

1425 फ0

खसरा नम्बर	रकबा हे0	खाता सं0	नाम भूमिधर	काबिज का नाम	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
871	0.504	29	30 श्रे0 वर्ग 9 (3) क0	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	बंजर	0.504		
879	2.883	29	30 श्रे0 वर्ग 9 (3) क0	—													बंजर	2.883		
881	2.181	29	30 श्रे0 वर्ग 9 (3) क	—													बंजर	2.181		
1983	3.636	29	30 श्रे0 वर्ग 9 (3) क0	—													बंजर	3.636		
2067	1.011	29	30 श्रे0 वर्ग 9 (3) क0	—													बंजर	1.011		
2156	1.254	29	30 श्रे0 वर्ग 9 (3) क0	—													बंजर	1.254		
06	11.469	-																11.469		

तैयार किया

[illegible]

उपजिलाधिकारी

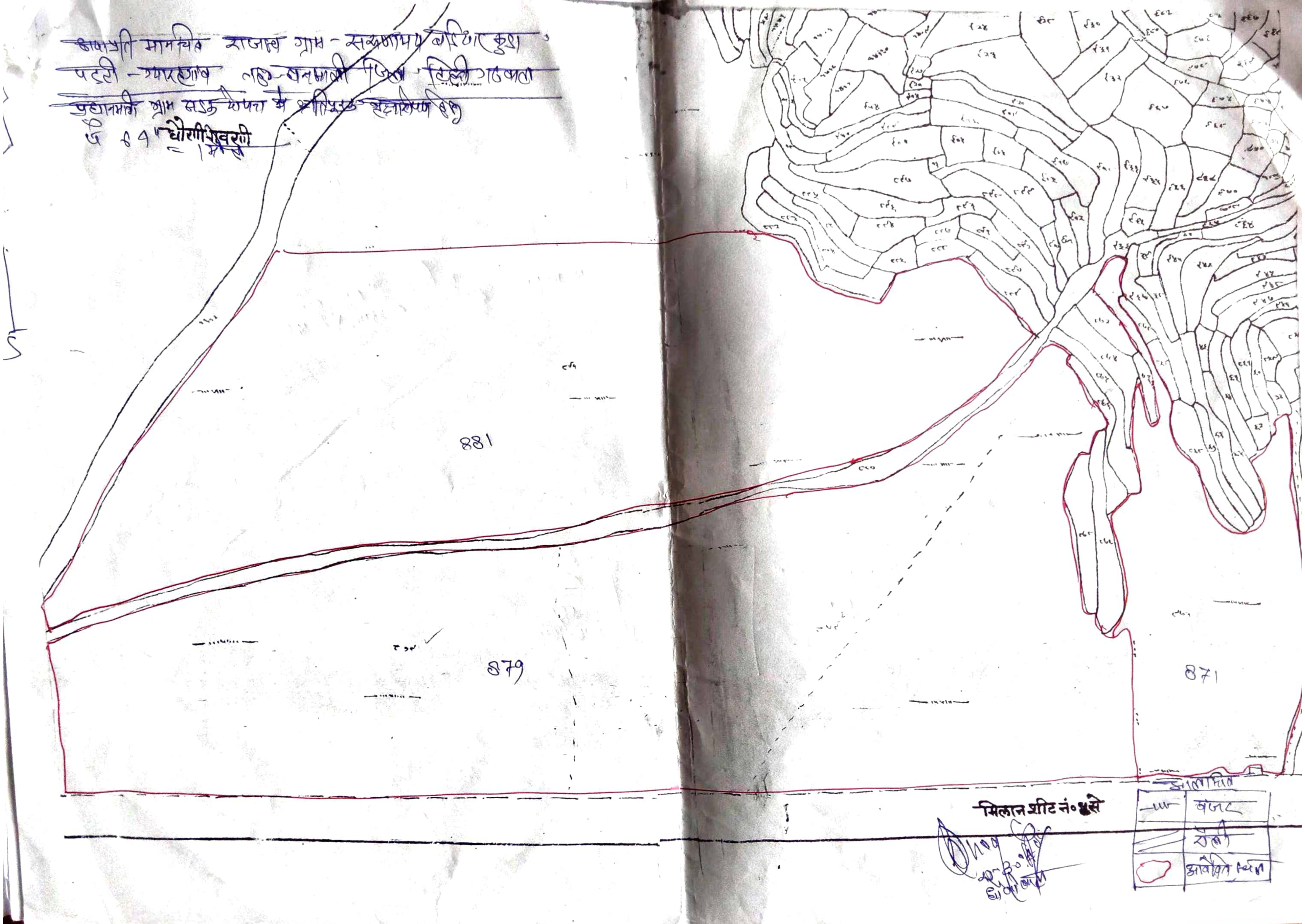
881
879
871
मिलान शीट नं० से
बंजर
आवंटित स्थान

शीट नं० 5 मौजा सरुणा वडियार कुड़ा पट्टी ग्यारहगांव

पैमाना 64" = 1 मील

PMGSY मोटरमार्ग के क्षतिपूरक वृक्षारोपण भूमि हेतु

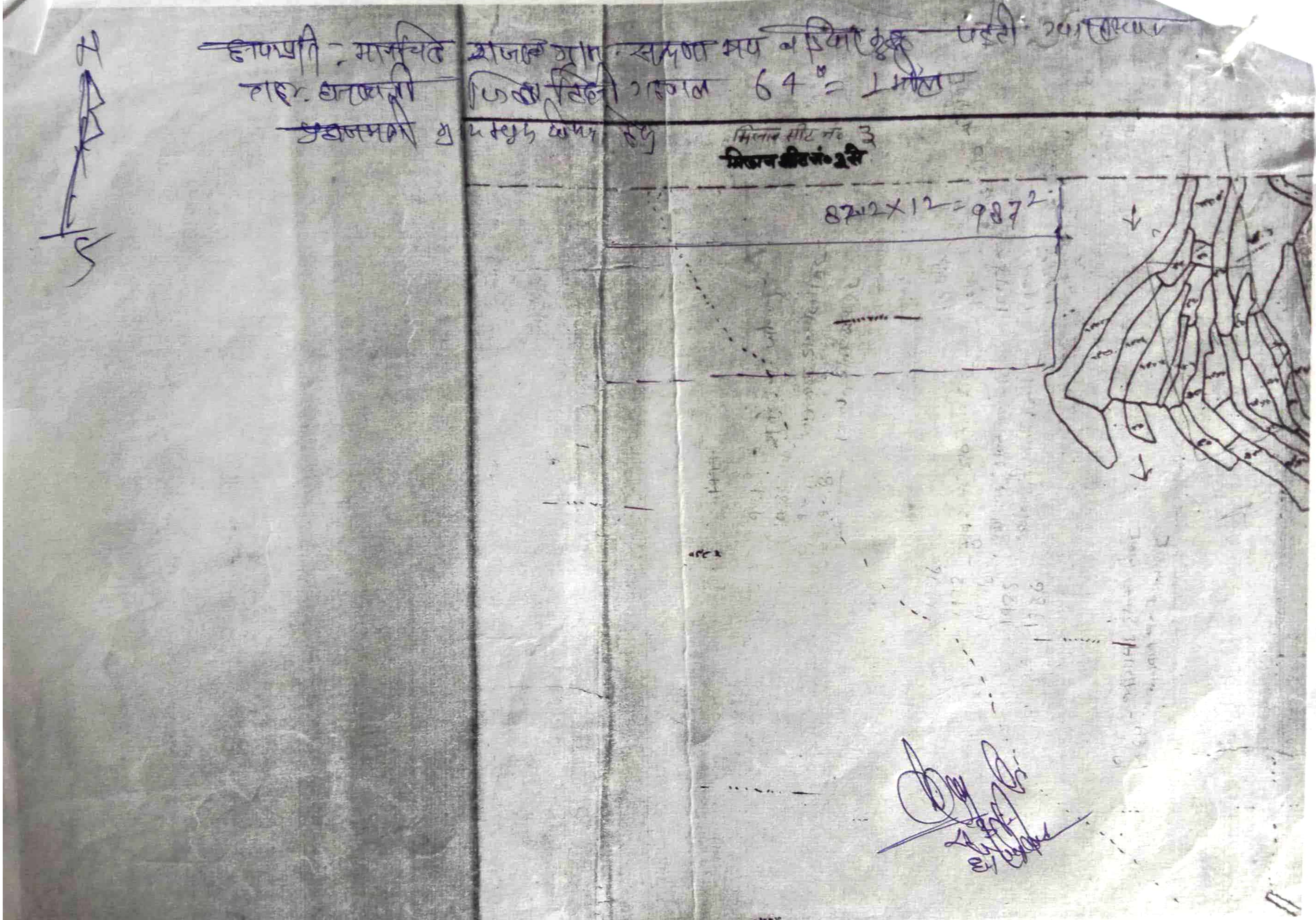
N
64" = 1 मील
मिलान सीट नं. 3

robhilangana01@gmail.com

कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी, भिलंगना राजि, घनसाली।

पत्रांक सं0 : 737/12–1 घनसाली दिनांक – 28/05 /2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।

विषयः– विकासखण्ड भिलंगना मे मैगाधार–आली–सरूणा–मोटर मार्ग का चौंरा, करखेडी, कोट व घणातगांव होते हुये चांजी तक विस्तारीकरण कार्य हेतु सटील गार्डर निर्माण हेतु 4.41हे0 वन भूमि के सापेक्ष 8.82 हे0 सिविल भूमि का हस्तान्तरण हेतु अमल दरामद के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका आर0एन0 3774/12–1, दिनॉक 27.04.2022 एवं जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल के पत्रांक सं0 161/XI–25(2020–21) दिनॉक, नई टिहरी, जनवरी, 20.2022।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयम क्रम में निवेदन करना है कि इस राजि के अन्तर्गत उपरोक्त मोटर मार्ग विस्तारीकरण एवं स्टील गार्डर निर्माण हेतु वन भूमि के सापेक्ष दुगनी सिविल भूमि जिलाधिकारी टिहरी गढवाल द्वारा ग्राम सरूणा, पट्टी ग्यारहगांव के खाता सं0 29 के खसरा सं0 1983म0, 879, 881, 871, 2067 व 2156 याचित रक्वा हे0 8.82 हे0 भूमि की किस्म–उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ङ की अमल दरामद हेतु स्थलीय निरीक्षण श्री रविन्द्र प्रसाद नैथानी, वन दरोगा दोणी अनुभाग, श्री सुदर्शन सिंह राणा, वन बीट अधिकारी, दोणी/जाख बीट व क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षक धौणीखाल के साथ दिनांक 26.05.2022 को किया गया व उक्त भूमि को कब्जे में लिया गया एवं राजस्व उप निरीक्षक धौणीखाल द्वारा मौके पर नक्शा, खसरा मय अमल दरामद किया गया, जिसका विवरण खसरा नम्बर मय रक्वे सहित निम्न प्रकार से है–

क्र0सं0	ग्राम	खसरा सं0	रक्वा हे0
1	ग्राम सरूणा पो0 मैगाधार पट्टी ग्यारहगांव, तहसील घनसाली टिहरी गढ़वाल	1983म0	0.987
		879	2.883
		881	2.181
		871	0.504
		2067	1.011
		2156	1.254
		योग –	8.820हे0

अतः सूचना महोदय की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्नकः– नक्शा, खसरा मय अमल दरामद – 04 प्रतियों में।

भवदीय,

वन क्षेत्राधिकारी
भिलंगना राजि, घनसाली
टिहरी वन प्रभाग

6/6/22

सेवा मे,

श्रीमान वनक्षेत्राधिकारी महोदय
भिलंगना रेंज घनसाली

विषय - जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकासखण्ड भिलंगना में मैंगाधार - आली, सरुणा मोटर मार्ग का चौरा, करखेडी, कोट घणातगांव होते हुए चांजी तक विस्तारीकरण कार्य हेतु स्टील गार्डर हेतु 4.41 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप 8.82 है० भूमि वन विभाग के कब्जे मे लेने का अमल दरामद रिपोर्ट

महोदय,

आपका पत्रांक R.N. 1069/12-1 दिनाँक 29-04-2022 के आदेशानुसार जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना के अन्तर्गत मैंगाधार - आली सरुणा मोटर मार्ग का चौरा, करखेडी, कोट घणातगाँव होते हुए चांजी तक मोटर मार्ग नव निर्माण की स्थापना से प्रभावित हो रही आरक्षित वन भूमि तथा सिविल भूमि के एवज में 8.82 है० सिविल भूमि का सम्बन्धित राजस्व विभाग से उक्त अमल दरामद सुदा भूमि का प्रमाण पत्र लेकर उक्त भूमि को कब्जे में ले लिया गया है।

अतः उपरोक्त सूचना महोदय की सेवा मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में सादर प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
(सुदर्शन सिंह राणा)
वन बीट अधिकारी
थेली व जाख बीट
26-05-2022

भवदीय
Ravindra
(रविन्द्र प्रसाद नैथानी)
वन दरोगा
घनसाली / दोणी
अनुभाग
26-05-2022

अमल दरामद भूमि कब्जे में लेने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकासखण्ड भिलंगना में मैगाधार–आली –सरूणा मोटर मार्ग का चौंरा, करखडी, कोट, घणातगांव होते हुए चांजी तक विस्तारीकरण कार्य हेतु स्टल गार्डर सेतु सहित निर्माण हेतु 4.41 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप जिलाधिकारी टिहरी के आदेश सं0–161/XI-25 (2020–21) दिनांक नई टिहरी, जनवरी 20, 2022 से जारी निर्देश के क्रम में हस्तान्तरण अमल दरामद 8.82 हे0 चिन्हित भूमि जो खाता सं0 29 के खसरा सं0 1983म0, 879, 881, 871, 2067, 2156 के अनुसार याचिका रक्वा (हे0) क्रमशः– 0.987 हे0, 2.883 हे0, 2.181हे0, 0.504हे0, 1.011हे0 व 1.254हे0 में है, राजि अधिकारी भिलंगना द्वारा अपने कब्जे में ले ली गयी है, जिसके फलस्वरूप उक्त प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

राजस्व उपनिरीक्षक
दोणरवाल

(सुदर्शन सिंह राणा)
वन बीट अधिकारी
दोणी व जाख बीट

(रविन्द्र प्रसाद नैथानी)
वन दरोगा
घनसाली/दोणी अनुभाग

वन क्षेत्राधिकारी
भिलंगना रेंज, घनसाली
टिहरी वन प्रभाग

नकल खतौनी ज० वि० र० ग्राम - सेकणा बड़ियार कुड़ा पट्टी - ग्यारहगाँव तह० - घनसाली टि० ग०

भूमिधर का नाम मय सकूनत	फसलीवर्ष	खसरा नम्बर	रकबा	मालगुजारी	6 - 8
उ० सरकार वर्ग 9(3)(ड़) कृषि योग्य बेजर भूमि	हा० क० से	5	0.003 है		जिलाधिकारी महोदय टिहरी गढ़वाल के कार्यालय आदेश संख्या 161/xi-25 (2020-2022) दिनांक नई टिहरी जनवरी 20-2022 के अनुपालन में खसरा नम्बरान 1983 म. रकबा 0.987 है0 879 रकबा 2.883 है0, 881 रकबा 2.181 है0, 871 रकबा 0.504 है0, 2067 रकबा 1.011 है0 2156 रकबा 1.254 है0 भूमि कुल रकबा 8.820 है0 भूमि वन विभाग (भिलंगना) रेंज के नाम दर्ज करने का आदेश है। [signature] 26-05-2022 रा० उ० नि०
		|	/		
		832	0.051 है.		
		871	0.504 है.		
		879	2.883 है.		
		881	2.181 है.		
		|	/		
		1983	3.636 है.		
		|	/		
		2067	1.011 है.		
		|	/		
		2156	1.254 है.		
		|	/		
		3684	0.061 है.		
		योग - 335	81.562	x x	

असल से नकल तैयार की

[signature]
26-05-2022

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UK76438401841821U
Certificate Issued Date	:	30-Mar-2022 11:52 AM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1241504/ TEHRI/ UK-TG
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK124150457573398169504U
Purchased by	:	E E P M G S Y I D FIRST NEW TEHRI
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	NA
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	E E P M G S Y I D FIRST NEW TEHRI
Second Party	:	NA
Stamp Duty Paid By	:	E E P M G S Y I D FIRST NEW TEHRI
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

NOTARY
NOTARIAL NOTARIAL
GOVT. OF UTTAR

(Smt BRIJESH SINGH)
STAMP VENDER
NEW TEHRI

Please write or type below this line

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

समक्ष–समक्ष अधिकारी

शपथ–पत्र

मैं के अधिशासी अभियन्ता पी.एम.जी.एस.वाई सिंचाई खण्ड–प्रथम नई टिहरी जिला टिहरी गढवाल शपथपूर्वक निम्न बयान करता हूँ।

1– यह कि शपथकर्ता का पद एवं पता सत्य एवं सही है।

2– यह कि शपथकर्ता के विभाग अधिनस्थ जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड भिलंगना में मैगाधार–आली–सरूणा मोटर मार्ग का चौंरा करखेडी कोट घणातगांव होते हुये चांजी तक विस्तारीकरण कार्य हेतु स्टील गर्डर सेतु सहित स्टेज प्रथम फेज– XIX में स्वीकृत है।

3– यह कि मैगाधार–आली–सरूणा मोटर मार्ग का चौंरा करखेडी कोट घणातगांव (प्रथम फेज) मोटर मार्ग की वन भूमि हस्तानान्तरण के सम्बन्ध में विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्व वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी जायेगी।

दिनांक– 30.03.2022

ह0 शपथकर्ता

गवाह–1

अपर सहायक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई
सिंचाई खण्ड–प्रथम नई टिहरी

गवाह–2

सहायक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई
सिंचाई खण्ड–प्रथम नई टिहरी

NOTARY
GOVT. OF UTTARAKHAND

ATTESTED
(Bijendra Prasad Pant)
Advocate / NOTARY
Tehsil - Jakhnidhar/Tehri
Tehri Garhwal (U.K.)

30.3.22

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड भिलंगना में मैगाधार आली सरूण मोटर मार्ग का चौंरा करखेड़ी कोट, घणातगांव होते हुये चांजी तक स्टील गर्डर सेतु सहित विस्तारीकरण कार्य।

पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत नाम – घनसाली–अखोड़ी मोटर मार्ग के किमी0 18 से सरूणा कोट चांजी मोटर मार्ग।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र।

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड भिलंगना में प्रस्तावित घनसाली–अखोड़ी मोटर मार्ग के किमी0 18 से सरूणा कोट चांजी मोटर मार्ग हेतु वनभूमि जिसका क्षेत्रफल 4.410 है0 के विरूद्व दुगनी क्षेत्रफल 8.820 है0 अनवरत सिविल सोयम भूमि ग्राम–सरूणा में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गयी है। यह भूमि राजस्व विभाग, टिहरी गढ़वाल के स्वामित्व में है जो उपरोक्त वर्णित योजना हेतु राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी है।

अपर सहायक अभियन्ता
पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड–I,
नई टिहरी

सहायक अभियन्ता
पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड–I,
नई टिहरी

अधिशासी अभियन्ता
पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड–I,
नई टिहरी

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी

Photo Copy Attested by
Rohit
AE

7 Forest

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड–I,पीएमजीएसवाई
नई टिहरी

Tele Phone No:- 01376-234594
Fax No:- 01376-234594
E-Mail ID:-eepmgsytehri1@rediffmail.com

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

पत्रांक :–3052/ पीएमजीएसवाई सिं0ख0–I/ वनभूमि/ड्राईंग दिनांक :– 16/10/2020

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता
यू0आर0आर0डी0ए0
प्रथम तल पंचायती राज निदेशालय
आई0टी0 पार्क के सामने
देहरादून

विषयः– **जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड भिलंगना में मैगाधार–आली–सरूणा मोटर मार्ग का चौंरा करखेडी कोट घणातगांव होते हुए चांजी (पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत घनसाली अखोडी मोटर मार्ग किमी0 18 से सरूणा कोट चांजी मोटर मार्ग नाम से स्वीकृत है) तक विस्तारीकरण कार्य हेतु स्टील गर्डर सेतु सहित निर्माण कार्य हेतु 4.41 चहै0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या – FP/UK/ROAD/38456/2019)**

सन्दर्भ :– **भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्ततन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र) देहरादून का पत्र संख्या –08 बी/यू0सी0पी0/06/43/2020 एफ0सी0/1561 दि0 29.09.2020 तथा अपर प्रमुख संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 1094/ FP/UK/ROAD/38456/2019 दिनांक 09.10.2020**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड भिलंगना में मैगाधार–आली–सरूणा मोटर मार्ग का चौंरा करखेडी कोट घणातगांव होते हुए चांजी (पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत घनसाली अखोडी मोटर मार्ग किमी0 18 से सरूणा कोट चांजी मोटर मार्ग नाम से स्वीकृत) सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के अनुपालन में एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी है।

प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी वन प्रभाग के पत्र संख्या 837/12–1 नई टिहरी दिनांक 14.10.2020 द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 29,73,963.00 (उन्तीस लाख तिहत्तर हजार नौ सौ त्रेसठ रूपये मात्र) एवं एन0पी0वी0 हेतु रू0 37,26,450.00 (सैंतीस लीख छब्बीस हजार चार सौ पचास रूपये मात्र) की मांग गयी है। (प्रति संलग्न)

अतः आपसे अनुरोध है कि कुल रूपये 67,00,413.00 (सढसट लाख चार सौ तेरह रूपये मात्र) का भुगतान सुसंगत खाते में कराने का कष्ट करें।

संलग्न – 1. सैद्धान्तिक स्वीकृति का पत्र।
2. प्रभागीय वनाधिकारी प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0वी0 की धनराशि का मांग पत्र।
3. उपरोक्तानुसार (चालान की प्रति)

(डा0 संजय श्रीवास्तव)
अधिशासी अभियन्ता
a/c पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड–I
नई टिहरी

पत्रांक :– / पीएमजीएसवाई सिं0ख0–I/तद्दिनांक

प्रतिलिपि मुख्य अभियन्ता, पीएमजीएसवाई, गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, पीएमजीएसवाई, वृत्त लो0नि0वि0, मसूरी को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय, नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, नई टिहरी को उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
a/c पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड–I
नई टिहरी

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स--0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

दिनांक: 29 / 09 / 2020

पत्र सं0 8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 43 / 2020 / एफ0सी0 / 1361

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद – टिहरी गढवाल के विकासखण्ड भिलंगना में मैगाधार–आली–सरूणा मोटर मार्ग का चौंरा करखेडी, कोट, घणातगांव होते हुए चांजी तक विस्तारीकरण कार्य हेतु स्टील गर्डर सेतु सहित निर्माण कार्य हेतु 4.41 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या– 380/x-3-20/1(51)/2020 दिनांक, 18.03.2020

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ Road/38456/2019 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर अतिरिक्त सूचनायें चाही गयी थी, जिसकी अन्तिम अनुपालना अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.), उत्तराखण्ड के पत्र दिनांक 19.09.2020 द्वारा ऑनलाईन प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार जनपद – टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड भिलंगना में मैगाधार–आली–सरूणा मोटर मार्ग का चौंरा करखेडी, कोट, घणातगांव होते हुए चांजी तक विस्तारीकरण कार्य हेतु स्टील गर्डर सेतु सहित निर्माण कार्य हेतु 4.41 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. प्रतिपूरक वनीकरण:

क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 8.82 हे0 गैर वानिकी भूमि ग्राम सरूणा सिविल खसरा न0 783,897,881,871,2067,2156 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।

ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एव Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एव प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।

ग) वन मडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

4. शुद्ध वर्तमान मूल्य

(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1 / 1998–एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2 / 2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 4.41 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।

5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 669 (including 97 saplings) वृक्षो से अधिक नहीं होगी एव पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

6. State Govt. will inform this office if they pass any order for tree cutting and, commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.

7. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएगें।

8. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

9. संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सडक के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएगें।

10. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।

11. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।

12. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जाएगा।

13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।

14. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।

15. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा।

16. इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।

17. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा।

18. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तानान्तरित नहीं की जाएगी।

19. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाई होगी।

20. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवो के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

21. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वनिर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।

22. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

23. अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,

(टी0 सी0 नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(टी0 सी0 नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

Online payment history made by User Agency under CAMPA

▽ **Help**

Proposals received on or after 15th July 2014

GET LIST

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/38456/2019 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/38456/2019) Construction of Ghansali akhori m/r km 18 to Saruna kot chanji M/r	ROAD384562019476	6138456476	29 Sep 2020	**CA:** 2973963/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 3726450/- , **Other Charges :** 0/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 6700413/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 19 Oct 2020 **Bank Name** : Corporation Bank **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 02 Jan 2021 **Transaction Date** : 20 Jan 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/1011191281211X6PS Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=
2	FP/UK/ROAD/34832/2018 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/34832/2018) Construction of Koti Chanji Dakhwan Gaon m/r Km 4 to Silos m/r	ROAD348322018959	6134832959	02 Aug 2019	**CA:** 1839186/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 1971000/- , **Other Charges :** 0/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 3810186/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 09 Sep 2019 **Bank Name** : Corporation Bank **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 18 Sep 2019 **Transaction Date** : 04 Oct 2019	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/8112612231215O4VI Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=
3	FP/UK/ROAD/20429/2016 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/20429/2016) Constructon of Vinaykhal to Genwali motor road	ROAD204292016661	6120429661	16 Apr 2019	**CA:** 2392474/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 3297613/- , **Other Charges :** 0/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 5690087/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 18 Jun 2019 **Bank Name** : Corporation Bank **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 12 Jul 2019 **Transaction Date** : 12 Jul 2019	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/51130122812157BL4 Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=
4	FP/UK/ROAD/34294/2018 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/34294/2018) Ghansali Tilwara Motor Road Km 08 (Muyalgaon) to Majyari Mahar Link Motor Road	ROAD342942018728	6134294728	21 Jan 2019	**CA:** 2011125/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 2370785/- , **Other Charges :** 0/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 4381910/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 31 Jan 2019 **Bank Name** : Corporation Bank **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 01 Feb 2019 **Transaction Date** : 20 Feb 2019	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/1112412331215SD4/ Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड– I,पीएमजीएसवाई
नई टिहरी

Tele Phone No:- 01376-234594
Fax No:- 01376-234594
E-Mail ID:-eepmgsytehri1@rediffmail.com

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

Strip Plantation किये जाने के का वचन वद्धता प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड भिलंगना में मेघाधार–आली–सरूणा मोटर मार्ग का चौंरा, करखेडी, कोट, घणातगांव होते हुये स्टील गर्डर सेतु, सहित निर्माण कार्य हेतु 4.410 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। **(Online ProposalNo. FP/UK/ROAD/38456/2019)**

प्रमाणित किया जता है कि सडक निर्माण के पश्चात जहां–जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देखरेख Strip Plantation किया जायेगा।

अपर सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड–।
नई टिहरी

सहायक अभियन्ता
पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड–।
नई टिहरी

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड–।
नई टिहरी

Name Of work:- Construction of Megadhar – Aali - Saruna Motor Road passed from Village-Chaunra, Kot,Karkhedi, Ghanatgaon to Chanji with Steel Girder Bridge. (Length- 10.450 KM + 2 No. Bridge)

मक डम्पिंग प्लान/ प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल में के विकास खण्ड़ भिलंगना में मैगाधार – आली – सरुणा मोटर मार्ग का चौंरा करखेडी,कोट,घणातगांव होते हुए चांजी तक विस्तारीकरण कार्य का स्टील गर्डर सेतु सहित नव निर्माण कार्य। (मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तानान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई– 10.450 + 2 न0 सेतु) के नव निर्माण से उत्पादित मलवे को उचित प्रक्रियानुसार सुरक्षित स्थान पर डम्पिंग किया जायेगा। मलवा कहीं भी वृक्ष आच्छादित क्षेत्र एवं जल स्त्रोतों में नहीं डाला जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता अ0ख0 लो0नि0वि0, घनसाली	सहायक अभियन्ता अ0ख0 लो0नि0वि0, घनसाली	अधिशासी अभियन्ता अ0ख0 लो0नि0वि0, घनसाली

प्रपत्र–25

परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल विकास खण्ड भिलंगना में मेगाधार–आली–सरूणा मोटर मार्ग का चौंरा, करखेड़ी, कोट, घणातगांव होतु हुये चांजी तक विस्तारीकरण कार्य का स्टील गर्डर सेतु सहित नव निर्माण कार्य।

पीएनजीएसवाई के अन्तर्गत स्वीकृत नाम :– घनसाली अखोड़ी मोटर मार्ग के किमी0 18 से सरूणा कोट चांजी मोटर मार्ग।

परियोजना स्थल किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने का एवं हवाई दूरी का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, हाथी कोरिडोर का भाग/हिस्सा नहीं है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन क्षेत्र की समीपस्थ केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से हवाई दूरी 22.60 कि0मी0 है।

कनिष्ठ अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड–1 नई टिहरी

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड–1 नई टिहरी

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड–1 नई टिहरी

प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड– I,पीएमजीएसवाई
नई टिहरी

Tele Phone No:- 01376-234594
Fax No:- 01376-234594
E-Mail ID:-eepmgsytehri1@rediffmail.com

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड भिलंगना में मैगाधार–आली–सरूणा मोटर मार्ग का चौंरा करखेडी, कोट, घणातगांव होते हुये चांजी तक विस्तारीकरण कार्य हेतु स्टील गर्डर सेतु का कार्य हेतु 4.41 हे0 वन भूमि गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।(Online Proposal No.- FP/UK/ROAD/384566/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान वनभूमि में कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किये जायेगें।

सहायक अभियन्ता
पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड– I
नई टिहरी

अधिशासी अभियन्ता
पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड– I
नई टिहरी

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड– I,पीएमजीएसवाई
नई टिहरी

Tele Phone No:- 01376-234594
Fax No:- 01376-234594
E-Mail ID:-eepmgsytehri1@rediffmail.com

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड भिलंगना में मैगाधार–आली–सरूणा मोटर मार्ग का चौंरा करखेडी, कोटॅ, घणातगांव होते हुये चांजी तक विस्तारीकरण कार्य हेतु स्टील गर्डर सेतु का कार्य हेतु 4.41 हे0 वन भूमि गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।(Online Proposal No.- FP/UK/ROAD/384566/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जायेगी। इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न है।

सहायक अभियन्ता
पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड–।
नई टिहरी

अधिशासी अभियन्ता
पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड–।
नई टिहरी

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड–I,पीएमजीएसवाई
नई टिहरी

Tele Phone No:- 01376-234594
Fax No:- 01376-234594
E-Mail ID:-eepmgsytehri1@rediffmail.com

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

संलग्नक न0 –

प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड में मैगाधार आली सरूणा मोटर मार्ग का चौंरा करखेड़ी कोट घणातगांव होते हुये चांजी तक विस्तारीकरण कार्य का स्टील गर्डर सेतु सहित निर्माण (लम्बाई 10.45 किमी0 + 02न0 सेतु) सहित 4.41 है0 का वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में। (Online Proposal No.- FP/UK/ROAD/38456/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान वनभूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जायेगी।

सहायक अभियन्ता
पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड–I
नई टिहरी

अधिशासी अभियन्ता
पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड–I
नई टिहरी

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड– I,पीएमजीएसवाई
नई टिहरी

Tele Phone No:- 01376-234594
Fax No:- 01376-234594
E-Mail ID:-eepmgsytehri1@rediffmail.com

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

प्रारूप–54

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड भिलंगना में मैगाधार–आली–सरूणा मोटर मार्ग का चौंरा करखेडी, कोट, घणातगांव होते हुये चांजी तक विस्तारीकरण कार्य हेतु स्टील गर्डर सेतु का कार्य हेतु 4.41 हे0 वन भूमि गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।(Online Proposal No.- FP/UK/ROAD/384566/2019)

वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नही किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड– I
नई टिहरी

अधिशासी अभियन्ता
पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड– I
नई टिहरी

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड– I,पीएमजीएसवाई
नई टिहरी

Tele Phone No:- 01376-234594
Fax No:- 01376-234594
E-Mail ID:-eepmgsytehri1@rediffmail.com

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

संलग्नक न0 –

प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड में मैगाधार आली सरूणा मोटर मार्ग का चौंरा करखेड़ी कोट घणातगांव होते हुये चांजी तक विस्तारीकरण कार्य का स्टील गर्डर सेतु सहित निर्माण (लम्बाई 10.45 किमी0 + 02न0 सेतु) सहित 4.41 है0 का वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में। (Online Proposal No.- FP/UK/ROAD/38456/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग निर्माण में परियोजना के लिये आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जायेगी।

सहायक अभियन्ता
पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड– I
नई टिहरी

अधिशासी अभियन्ता
पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड– I
नई टिहरी

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड– I,पीएमजीएसवाई
नई टिहरी

Tele Phone No:- 01376-234594
Fax No:- 01376-234594
E-Mail ID:-eepmgsytehri1@rediffmail.com

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

संलग्नक न0 –

प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड में मैगाधार आली सरूणा मोटर मार्ग का चौंरा करखेड़ी कोट घणातगांव होते हुये चांजी तक विस्तारीकरण कार्य का स्टील गर्डर सेतु सहित निर्माण (लम्बाई 10.45 किमी0 + 02न0 सेतु) सहित 4.41 है0 का वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में। (Online Proposal No.- FP/UK/ROAD/38456/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेंगे।

सहायक अभियन्ता
पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड–।
नई टिहरी

अधिशासी अभियन्ता
पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड–।
नई टिहरी

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड– I,पीएमजीएसवाई
नई टिहरी

Tele Phone No:- 01376-234594
Fax No:- 01376-234594
E-Mail ID:-eepmgsytehri1@rediffmail.com

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

संलग्नक न0 –

प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड में मैगाधार आली सरूणा मोटर मार्ग का चौंरा करखेड़ी कोट घणातगांव होते हुये चांजी तक विस्तारीकरण कार्य का स्टील गर्डर सेतु सहित निर्माण (लम्बाई 10.45 किमी0 + 02न0 सेतु) सहित 4.41 है0 का वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में। (Online Proposal No.- FP/UK/ROAD/38456/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो, प्राप्त करेगा।

लागू नही है।

सहायक अभियन्ता
पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड–।
नई टिहरी

अधिशासी अभियन्ता
पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड–।
नई टिहरी

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड–।,पीएमजीएसवाई
नई टिहरी

Tele Phone No:- 01376-234594
Fax No:- 01376-234594
E-Mail ID:-eepmgsytehri1@rediffmail.com

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

संलग्नक न0 –

प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड में मैगाधार आली सरूणा मोटर मार्ग का चौंरा करखेड़ी कोट घणातगांव होते हुये चांजी तक विस्तारीकरण कार्य का स्टील गर्डर सेतु सहित निर्माण (लम्बाई 10.45 किमी0 + 02न0 सेतु) सहित 4.41 है0 का वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में। (Online Proposal No.- FP/UK/ROAD/38456/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग पर निर्माण के दौरान केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना प्रस्ताव का ले आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।

सहायक अभियन्ता
पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड–।
नई टिहरी

अधिशासी अभियन्ता
पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड–।
नई टिहरी

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड– I,पीएमजीएसवाई
नई टिहरी

Tele Phone No:- 01376-234594
Fax No:- 01376-234594
E-Mail ID:-eepmgsytehri1@rediffmail.com

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

संलग्नक न0 –

प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड में मैगाधार आली सरूणा मोटर मार्ग का चौंरा करखेड़ी कोट घणातगांव होते हुये चांजी तक विस्तारीकरण कार्य का स्टील गर्डर सेतु सहित निर्माण (लम्बाई 10.45 किमी0 + 02न0 सेतु) सहित 4.41 है0 का वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में। (Online Proposal No.- FP/UK/ROAD/38456/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से प्रर्याप्त लकड़ी विशेषता वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड–।
नई टिहरी

अधिशासी अभियन्ता
पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड–।
नई टिहरी

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड– I,पीएमजीएसवाई
नई टिहरी

Tele Phone No:- 01376-234594
Fax No:- 01376-234594
E-Mail ID:-eepmgsytehri1@rediffmail.com

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

संलग्नक न0 –

प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड में मैगाधार आली सरूणा मोटर मार्ग का चौंरा करखेड़ी कोट घणातगांव होते हुये चांजी तक विस्तारीकरण कार्य का स्टील गर्डर सेतु सहित निर्माण (लम्बाई 10.45 किमी0 + 02न0 सेतु) सहित 4.41 है0 का वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में। (Online Proposal No.- FP/UK/ROAD/38456/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग पर निर्माण के दौरान सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड–।
नई टिहरी

अधिशासी अभियन्ता
पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड–।
नई टिहरी

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड–।,पीएमजीएसवाई
नई टिहरी

Tele Phone No:- 01376-234594
Fax No:- 01376-234594
E-Mail ID:-eepmgsytehri1@rediffmail.com

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

संलग्नक न0 –

प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड में मैगाधार आली सरूणा मोटर मार्ग का चौंरा करखेड़ी कोट घणातगांव होते हुये चांजी तक विस्तारीकरण कार्य का स्टील गर्डर सेतु सहित निर्माण (लम्बाई 10.45 किमी0 + 02न0 सेतु) सहित 4.41 है0 का वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में। (Online Proposal No.- FP/UK/ROAD/38456/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड–।
नई टिहरी

अधिशासी अभियन्ता
पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड–।
नई टिहरी

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड–I,पीएमजीएसवाई
नई टिहरी

Tele Phone No:- 01376-234594
Fax No:- 01376-234594
E-Mail ID:-eepmgsytehri1@rediffmail.com

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

संलग्नक न0 –

प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड में मैगाधार आली सरूणा मोटर मार्ग का चौंरा करखेड़ी कोट घणातगांव होते हुये चांजी तक विस्तारीकरण कार्य का स्टील गर्डर सेतु सहित निर्माण (लम्बाई 10.45 किमी0 + 02न0 सेतु) सहित 4.41 है0 का वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में। (Online Proposal No.- FP/UK/ROAD/38456/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो लक्षित किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड–।
नई टिहरी

अधिशासी अभियन्ता
पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड–।
नई टिहरी

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड–I,पीएमजीएसवाई
नई टिहरी

Tele Phone No:- 01376-234594
Fax No:- 01376-234594
E-Mail ID:-eepmgsytehri1@rediffmail.com

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

संलग्नक न0 –

प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड में मैगाधार आली सरूणा मोटर मार्ग का चौंरा करखेड़ी कोट घणातगांव होते हुये चांजी तक विस्तारीकरण कार्य का स्टील गर्डर सेतु सहित निर्माण (लम्बाई 10.45 किमी0 + 02न0 सेतु) सहित 4.41 है0 का वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में। (Online Proposal No.- FP/UK/ROAD/38456/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान वनभूमि का प्रयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिदृष्टि परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजन हेतु नहीं किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड–I
नई टिहरी

अधिशासी अभियन्ता
पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड–I
नई टिहरी

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड– I,पीएमजीएसवाई
नई टिहरी

Tele Phone No:- 01376-234594
Fax No:- 01376-234594
E-Mail ID:-eepmgsytehri1@rediffmail.com

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

संलग्नक न0 –

प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड में मैगाधार आली सरूणा मोटर मार्ग का चौंरा करखेड़ी कोट घणातगांव होते हुये चांजी तक विस्तारीकरण कार्य का स्टील गर्डर सेतु सहित निर्माण (लम्बाई 10.45 किमी0 + 02न0 सेतु) सहित 4.41 है0 का वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में। (Online Proposal No.- FP/UK/ROAD/38456/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण एवं विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

सहायक अभियन्ता
पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड– I
नई टिहरी

अधिशासी अभियन्ता
पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड– I
नई टिहरी

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड–।,पीएमजीएसवाई
नई टिहरी

Tele Phone No:- 01376-234594
Fax No:- 01376-234594
E-Mail ID:-eepmgsytehri1@rediffmail.com

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

संलग्नक न0 –

प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड में मैगाधार आली सरूणा मोटर मार्ग का चौंरा करखेड़ी कोट घणातगांव होते हुये चांजी तक विस्तारीकरण कार्य का स्टील गर्डर सेतु सहित निर्माण (लम्बाई 10.45 किमी0 + 02न0 सेतु) सहित 4.41 है0 का वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में। (Online Proposal No.- FP/UK/ROAD/38456/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो इनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयुक्त ऐजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।

सहायक अभियन्ता
पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड–।
नई टिहरी

अधिशासी अभियन्ता
पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड–।
नई टिहरी

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड–I,पीएमजीएसवाई
नई टिहरी

Tele Phone No:- 01376-234594
Fax No:- 01376-234594
E-Mail ID:-eepmgsytehri1@rediffmail.com

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

संलग्नक न0 –

प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड में मैगाधार आली सरूणा मोटर मार्ग का चौंरा करखेड़ी कोट घणातगांव होते हुये चांजी तक विस्तारीकरण कार्य का स्टील गर्डर सेतु सहित निर्माण (लम्बाई 10.45 किमी0 + 02न0 सेतु) सहित 4.41 है0 का वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में। (Online Proposal No.- FP/UK/ROAD/38456/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान प्रस्ताव में स्वीकृत समरेखण में ही वृक्षों का पातन एवं स्वीकृत संरेखण में ही मोटर मार्ग का निर्माण किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड–I
नई टिहरी

अधिशासी अभियन्ता
पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड–I
नई टिहरी

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT –TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND)

57

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) Act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Tehri Garhwal district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Mr./Mrs.** ...SONIKA.......... **I.A.S** District collector, Tehri Garhwal at New Tehri in which application claiming rights in Block -Bhilangana area measuring **4.410 hect.** for **Construction of Megadhar – Aali - Saruna Motor Road passed from Village-Chaunra, Kot,Karkhedi, Ghanatgaon to Chanji with Steel Girder Bridge.** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;...NEW TEHRI

Dated:...1.4.1.5.7 18

(सोनिका)
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

District Collector-cum-Chairman
District Level Committe

Annexure-1

50

Form-1
For linear projects
Government of india
Office of the District Collector Tehri Garhwal

No. 473|XXVI-50 2018-19 Dated..14|5|19

To WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoFF) Government of india's letter no. 11-98-FC (pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initialect and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relanation in respect of linear projects it is certified that **4.410 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of Ty. Division P.W.D. Ghansali for **Construction of Megadhar – Aali - Saruna Motor Road passed from Village-Chaunra, Kot, Karkhedi, Ghanatgaon to Chanji with Steel Girder Bridge.** (purpose for diversion of forest land) in Tehri Garhwal district fails within jurisdiction of Aali,Saruna,Mundeti,Chaunra,Kot,Karkhedi,Ghanatgaon and Chanji village (s) In Ghansali Tehsil.

It is further certified that

(a) The complete process for idenfification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **4.410 Hectares** of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights committee (s) Gram sabha (s) sub. Division level committee (s) and the district level committee (s) are include as annexure to .... annexure......................,

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as the required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram sabha have given their consent to it,

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre-agricultural communities.

Encl. As above.

S.D.M
Ghansali
Tehri Garhwal

पत्रांक 12
दि. 18.2019
XXVI पत्रावली सं. 50
216 दिनांक 14|5|19

Signature
(...........)
District collector
Tehri Garhwal

(जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल)

परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड़ भिलंगना में मैगाधार – आली – सरुणा मोटर मार्ग का चौंरा करखेडी,कोट,घणातगांव होते हुए चांजी तक विस्तारीकरण कार्य का स्टील गर्डर सेतु सहित नव निर्माण कार्य।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र उपखण्डीय स्तरीय समिति, घनसाली

उपखण्ड घनसाली परिक्षेत्र के अन्तर्गत मैगाधार – आली – सरुणा मोटर मार्ग का चौंरा करखेडी,कोट,घणातगांव होते हुए चांजी तक विस्तारीकरण कार्य का स्टील गर्डर सेतु सहित नव निर्माण कार्य हेतु 0.770 है0 आरक्षित वन भूमि, 3.640 है0 सिविल एवं सायेम वन भूमि, 0.00 है0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 4.410 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पत्रा मं हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम,2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील--घनसाली) की दिनांक–5/8/16 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एव नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री सी० एस० चौहान उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुार है :–

1. श्री सी० एस० चौहान .... उपजिलाधिकारी — अध्यक्ष।
2. श्री [illegible] .... उप प्रभागीय वनाधिकारी — सदस्य।
3. श्री [illegible] .... सहायक समाज कल्याण अधिकारी, घनसाली। — सदस्य / सचिव।
4. श्री [illegible] .... बी0डी0सी0 क्षेत्र पंचायत सदस्य / प्रमुख भिंलगना। — सदस्य।

उप जिलाधिकारी घनसाली

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया है कि राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड़ भिलंगना में मैगाधार – आली – सरुणा मोटर मार्ग का चौंरा करखेडी,कोट,घणातगांव होते हुए चांजी तक विस्तारीकरण कार्य का स्टील गर्डर सेतु सहित नव निर्माण कार्य हेतु परियोजना हेतु 4.410 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

समबन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी गढवाल नई टिहरी द्वारा अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार को दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

(60)

बैठक मं सर्व सम्मति से उपखण्ड घनसाली परिक्षेत्र क अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड भिलंगना में मैगाधार – आली – सरुणा मोटर मार्ग का चौंरा करखेडी,कोट,घणातगांव होते हुए चांजी तक विस्तारीकरण कार्य का स्टील गर्डर सेतु सहित नव निर्माण कार्य की परियोजना के निर्माण हेतु 4.410 है0 वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपजिलाधिकारी,
घनसाली, टिहरी गढवाल,

उप जिलाधिकारी
घनसाली

पत्रांक :– / तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल, नई टिहरी को सूचनार्थ प्रेषित।

उपजिलाधिकारी,
घनसाली, टिहरी गढवाल,

उप जिलाधिकारी
घनसाली

(5)

कायालय उपजिलाधिकारी, घनसाली
उपखण्ड स्तरीय समिति, कीर्तिनगर
टिहरी गढवाल।

आज दिनांक–6/8/15..... को जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड़ भिलंगना में मैगाधार – आली – सरुणा मोटर मार्ग का चौंरा करखेडी,कोट,घणातगांव होते हुए चांजी तक विस्तारीकरण कार्य का स्टील गर्डर सेतु सहित नव निर्माण कार्य हेतु भू हस्तानान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी, घनसाली की अध्यक्षता में हुई। माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार :–

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री वी.के. चौहान	उपजिलाधिकारी, घनसाली	[signature] उप जिलाधिकारी घनसाली
2	वी. के. सिंह	उप प्रभागीय वनाधिकारी, ...	[signature]
3	श्री दर्शन लाल आर्य	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	[signature] सहायक समाज कल्याण अधिकारी भिलंगना (टिहरी गढवाल)
4	रघुवीर सिंह रावत	बी0डी0सी0 क्षेत्र पंचायत सदस्य/प्रमुख भिलंगना	[signature] रघुवीर सिंह रावत सदस्य जिला पंचायत

(62)

It is further certified that-Minutes of Meeting of Construction of Megadhar – Aali - Saruna Motor Road passed from Village-Chaunra, Kot,Karkhedi, Ghanatgaon to Chanji with Steel Girder Bridge. scheme regarding FRA is ad following .

Sr. No.		Remark
(a)	He complete process for identification and settlement of right under the FRA had been carried out for the entire **4.410 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the forest Right committee (s), sub Division Level committee(s)	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The Diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Nagar Plika Parishad have given consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate construction of aforesaid Water supply is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.

प्रतिहस्ताक्षरित

जिला पंचायत सदस्य,
टिहरी गढ़वाल।

सुधीर सिंह रावत
सदस्य
जिला पंचायत
33, हडियाणा मल्ला, पट्टी हिन्दाव
टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

समाज कल्याण अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी

अधिशासी अभियन्ता,
अ०ख०,लो०नि०वि०,घनसाली

CS
(सोनिका)
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

( )
जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

प्रपत्र--23

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड भिलंगना में मैगाधार – आली – सरुणा मोटर मार्ग का चौंरा करखेडी कोट घणातगांव होते हुए चांजी तक स्टील गर्डर सेतु सहित विस्तारीकरण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– चौंरा

तहसील–घनसाली, जिला–टिहरी गढवाल।

जिला टिहरी गढवाल उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत **जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड भिलंगना में मैगाधार – आली – सरुणा मोटर मार्ग का चौंरा करखेडी कोट घणातगांव होते हुए चांजी तक स्टील गर्डर सेतु सहित विस्तारीकरण कार्य** की परियोजना के निर्माण हेतु 0.770 है0 आरक्षित वन भूमि 3.640 है0 सिविल सोयम भूमि 0.00 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 4.410 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चौंरा द्वारा दिनांक–28.7.2016 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्राम वासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चौंरा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

ह0/
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
विकास खण्ड भिलंगना
जनपद–टिहरी गढवाल

दिनांक 28.7.2016
ह0/
ग्राम प्रधान

नोट :– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र 2:.1

दिनांक 28-7-2016 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ...पौल...

क्रमांक	ग्राम में उपस्थिति वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम/पिता का नाम	हस्ताक्षर
1	गोविन्द सिंह S/O शेर सिंह	गोविन्दसिंह
2	उज्वलसिंह S/O हीरा सिंह	उज्वलसिंह
3	दाता राम S/O नागेन्द्र दत्त	दाताराम
4	जमुना प्रसाद S/O इन्द्र दत्त	जमुनाप्रसाद
5	मोहन लाल S/O कोल राम	मोहनलाल
6	कुन्दन लाल S/O कृष्ण राम	कुन्दन लाल
7	सरोप सिंह S/O श्याम सिंह	सरोप सिंह
8	बच्चन सिंह S/O नारायण सिंह	बच्चनसिंह
9	मोर सिंह S/O शेर सिंह	मोर सिंह
10	तेज सिंह S/O जमन सिंह	तेज सिंह
11	बलवीर सिंह S/O बालम सिंह	बलवीरसिंह
12	अनुसूया प्रसाद S/O देवेश्वर रतूड़ी	अनुसूयाप्रसाद
13	चिन्तामणी S/O दाय राम	चिन्तामणी
14	सुबोधी देवी W/O गंगा प्रसाद	सुबोधी देवी
15	प्रेमा देवी W/O राम प्रसाद	प्रेमादेवी
16	मासन्तु लाल S/O दुसरी	मासन्तु लाल
17	यशोदा देवी W/O सुकारु	यशोदा देवी
18	पुष्पा देवी W/O कुवर सिंह	पुष्पा देवी
19	गंगा देवी W/O मोहन सिंह	गंगा देवी
20	अनीता देवी W/O विक्रम सिंह	अनीता देवी

सुनीतादेवी
28-7-2016

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में मैगाधार आली सरूणा मोटर मार्ग का चौंरा करखेडी कोट घणातगांव होते हुए चांजी तक मोटर मार्ग का स्टील गर्डर सेतु सहित नव निर्माण कार्य

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– भोडगांव (घणातगांव)

तहसील–घनसाली, जिला–टिहरी गढवाल।

जिला टिहरी गढवाल उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत **जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में मैगाधार आली सरूणा मोटर मार्ग का चौंरा करखेडी कोट घणातगांव होते हुए चांजी तक मोटर मार्ग का स्टील गर्डर सेतु सहित नव निर्माण कार्य** की परियोजना के निर्माण हेतु 0.770 है0 आरक्षित वन भूमि 3.640 है0 सिविल सोयम भूमि 0.00 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 4.410 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष मं भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यांवर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में **ग्राम पंचायत** भोडगांव द्वारा दिनांक–13/8/2016 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेम्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध मं अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिक्ति परियोंजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्राम वासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम घणातगांव के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
विकासखण्ड ....
ग्राम सचिव

ह0/–
ग्राम प्रधान

नोट :– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र 23.1

दिनांक 13/8/2016 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत [illegible]

क्रमांक	ग्राम में उपस्थिति वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम/पिता का नाम	हस्ताक्षर
1	कुंवर सिंह पु० [illegible] सिंह ग्राम [illegible] गाँव	कुंवर सिंह [illegible]
2	रुकमा देवी w/o स्व० [illegible] सिंह	रुकमा देई
3	[illegible] सिंह पु० [illegible] सिंह [illegible] गाँव	राधा देवी
4	सुशीला देवी w/o स्व० प्रेम सिंह	सुशीला
5	उर्मिला w/o अवतार सिंह "	उर्मिला
6	निर्मला w/o केदार सिंह "	निर्मला
6	[illegible] सिंह s/o [illegible] सिंह "	[illegible]
7	[illegible] देवी w/o [illegible] सिंह "	[illegible]
8	[illegible] w/o मदन सिंह "	[illegible]
9	[illegible] w/o स्व० [illegible] सिंह	[illegible]
10	सीता देवी w/o [illegible] सिंह "	सीता देवी
11	मीना देवी w/o विरेन्द्र सिंह	
12	सुषमा w/o सुरेन्द्र सिंह	सुषमा
13	कुसुम w/o राजेन्द्र सिंह	कुसुम
14	राजेन्द्र सिंह पु० स्व० [illegible] सिंह	Rajendra

सुषमा [stamp: illegible]

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में मैगाधार आली सरूणा मोटर मार्ग का चौंरा करखेडी कोट घणातगांव होते हुए चांजी तक मोटर मार्ग का स्टील गर्डर सेतु सहित नव निर्माण कार्य

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– कोट

तहसील–घनसाली, जिला–टिहरी गढवाल।

जिला टिहरी गढवाल उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत **जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में मैगाधार आली सरूणा मोटर मार्ग का चौंरा करखेडी कोट घणातगांव होते हुए चांजी तक मोटर मार्ग का स्टील गर्डर सेतु सहित नव निर्माण कार्य** की परियोजना के निर्माण हेतु 0.770 **है0 आरक्षित वन भूमि** 3.640 **है0 सिविल सोयम भूमि** 0.00 **है0 वन पंचायत भूमि**) अर्थात **कुल** 4.410 **है0** वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष मं भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में **ग्राम पंचायत** कोट/2 JE-45 द्वारा दिनांक–13/8/2016 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध मं अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिक्ति परियोंजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्राम वासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कोट के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

ह0/– ग्राम पंचायत विकास अधिकारी विकास खण्ड भिलंगना टिहरी गढ़वाल
ग्राम सचिव

ह0/–
ग्राम प्रधान

नोट :– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र 23.1

दिनांक 13/4/2016 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कोटहिन्धाव

क्रमांक	ग्राम में उपस्थिति वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम/पिता का नाम	हस्ताक्षर
1	चन्द्र सिंह पुत्र गोपाल सिंह ग्राम कोटहिन्धाव	चन्द्र सिंह
2	भरत सिंह पु० शेर सिंह रावत 〃	B Singh
3	जवर सिंह पु० रूपचन्द सिंह 〃 〃	जवर सिंह
4	सुशीला w/o अवतार सिंह 〃 〃	शशीला देवी
5	सैन सिंह s/o इन्द्र सिंह रावत 〃 〃	सैन सिंह
6	भगवान सिंह पु० भागसिंह 〃 〃	भगवान सिंह
7	यमराज पु० हुकम सिंह 〃	यमराज
8	शिवानन्द पु० जगतराम 〃	शिवानन्द
9	सीमादेवी w/o बलबीर सिंह	सीमा देवी
10	विनीता 〃 राजेन्द्र सिंह	विनीता
12	रामानन्द जी० के० दीक्षित 〃 〃	रामानन्द
13	दीपक पु० मैथानन्द	[illegible]
14	विमला देवी w/o पुरुषोत्तम 〃	[illegible]
15	यशोदा देवी w/o नारायणदत्त 〃 〃	यशोदा
16	राजेश्वरी देवी w/o मोहन लाल 〃 〃	राजेश्वरी
17	प्रदीप पु० केशवानन्द	प्रदीप
18	अंजु देवी w/o [illegible] ग्रा०प० अधिकारी	अंजु देवी
19	[illegible] ग्राम कोटहिन्धाव	[illegible]
20		
21		

[illegible signature over stamp]

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड–भिलंगना में मैगाधार–आली–सरूणा मोटर मार्ग का चौंरा–करखेड़ी–कोट–घणातगांव होते हुए चाँजी तक मोटर मार्ग का स्टील गर्डर सेतु सहित नव निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम–...सरूणा...

तहसील–घनसाली, जिला–टिहरी गढ़वाल।

जिला टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत **जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड–भिलंगना में मैगाधार–आली–सरूणा मोटर मार्ग का चौंरा–करखेड़ी–कोट–घणातगांव होते हुए चाँजी तक मोटर मार्ग का स्टील गर्डर सेतु सहित नव निर्माण** परियोजना के निर्माण हेतु ...0.770... **है0 आरक्षित वन भूमि** ...2.640... **है0 सिविल सोयम भूमि** ...0.00... **है0 वन पंचायत भूमि**) अर्थात **कुल** ...4.410... **है0** का भूमि का ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में **ग्राम पंचायत** –सरूणा...... द्वारा दिनांक–3-11-16 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्राम वासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ...सरूणा... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

प्रधान ग्राम पंचायत सरूणा पट्टी ग्यारहगांव
हस्ताक्षर प्रदीप कुमार
दिनांक ....
विकास खण्ड भिलंगना (टि0 ग0)

ह0/–
ग्राम सचिव

ह0/–
ग्राम प्रधान

नोट :– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जांय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र 23.1

दिनांक 3-11-16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत – सरूणा

क्रमांक	ग्राम में उपस्थिति वरिश्ठ ग्रामवासियों के नाम/पिता का नाम	हस्ताक्षर
		[illegible]
1	मदन सिंह	बिशन सिंह
2	बिशन सिंह	प्रताप सिंह
3	प्रताप सिंह	गुलाब सिंह
4	गुलाब सिंह	सोना देवी
5	सोना देवी	लक्ष्मी भण्डारी
6	लक्ष्मी भण्डारी	धनवीर सिंह
7	धनवीर सिंह	सरस्वती
8	सरस्वती	रमेश सिंह
9	रमेश सिंह	रघुवीर सिंह
10	रघुवीर सिंह	अवतार सिंह [illegible]
11	अवतार सिंह	[illegible]
12		करण सिंह
13	करण सिंह	शूरवीर सिंह
14	शूरवीर सिंह	[illegible]
15	शूरवीर	जयेन्द्र सिंह
16	जयेन्द्र	[illegible]
17	धीरज	Dheeraj
18	शैलेन्द्र	शैलेन्द्र
19		[illegible]
20	कोमल	KOMAL
21	शीतल भण्डारी	शीतल भण्डारी
22	लखवीर	लखवीर
23	शशी देवी	शशी देवी
24	सूरज	Suraj
25	आशीश	Ashish
26	सोना देवी	सोना देवी
27	बलवन्त	बलवन्त
28	गजेन्द्र सिंह	गजेन्द्र सिंह

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड–भिंलगना में मैगाधार–आली–सरूणा मोटर मार्ग का चौंरा–करखेड़ी–कोट–घणातगांव होते हुए चाँजी तक मोटर मार्ग का स्टील गर्डर सेतु सहित नव निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम–......चाँजी तल्ली

तहसील–घनसाली, जिला–टिहरी गढवाल।

जिला टिहरी गढवाल उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत **जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड–भिंलगना में मैगाधार–आली–सरूणा मोटर मार्ग का चौंरा–करखेड़ी–कोट–घणातगांव होते हुए चाँजी तक मोटर मार्ग का स्टील गर्डर सेतु सहित नव निर्माण** परियोजना के निर्माण हेतु ...0.770.... **है0 आरक्षित वन भूमि** ...3.640.... **है0 सिविल सोयम भूमि** ....0.00..... **है0 वन पंचायत भूमि**) अर्थात **कुल** ....4.410.. **है0** वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में **ग्राम पंचायत** ...चाँजी...तल्ली द्वारा दिनांक–12-1-17 . को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिक्ति परियोंजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्राम वासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ..चाँजी तल्ली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव

प्रधान ग्राम पंचायत चाँजी तल्ली ह0 ह0/– ग्राम प्रधान भिलंगना, टिहरी गढ़वाल

नोट :– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र 23.1

दिनांक 12-1-17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत चांजी तल्ली

क्रमांक	ग्राम में उपस्थिति वरिश्ठ ग्रामवारियों के नाम/पिता का नाम	हस्ताक्षर
1-	सत्येसिंह कैन्तुरा पुत्र प्रेमसिंह कैन्तुरा	सत्येसिंह
2-	विरेन्द्रसिंह रावत " पूर्णसिंह रावत	विरेन्द्रसिंह
3-	प्रेमलाल शाह " हिराशाह	प्रेमलाल
4-	अब्बलसिंह कैन्तुरा " नारायणसिंह कैन्तुरा	अब्बलसिंह
5-	उत्तमसिंह " " इन्द्रसिंह कैन्तुरा	उत्तमसिंह
6-	राजेन्द्र सिंह "	राजेन्द्रसिंह
7	कुन्जी लाल "	कुन्जीलाल
8	[illegible] "	[illegible]
9	[illegible] "	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]
11	दिनेश लाल	दिनेश लाल
12	सुन्दर लाल	सुन्दर लाल
13	[illegible]	[illegible]
14	रमेश लाल	रमेश लाल
20	सूरत सिंह	सूरत सिंह
21	अब्बतार सिंह	अब्बतार सिंह
22	विरेन्द्र सिंह	विरेन्द्रसिंह
23	रणवीर सिंह	रणवीर सिंह
24	आशा लाल	आशा लाल
25	बनी लाल	[illegible]
26	अमर लाल	[illegible]
27	दरवान सिंह	[illegible]
28	रविन्द्र सिंह	रविन्द्रसिंह
29	महेन्द्र [illegible]	[illegible]

प्रधान ग्राम पंचायत चांजी तल्ली
ह0 [illegible]
दि0
वि0ख0- भिलंगना, टिहरी गढ़वाल

जीयोरेफेरेन्स मैप – जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत मैगाधार – आली – सरूणा मोटर मार्ग का चौरा, कुरखेडी, कोट घुणातगांव होते हुए चांजी तक विस्तारीकरण हेतु

मार्ग की लम्बाई 10.450 km 45

Scale - 1:20,000

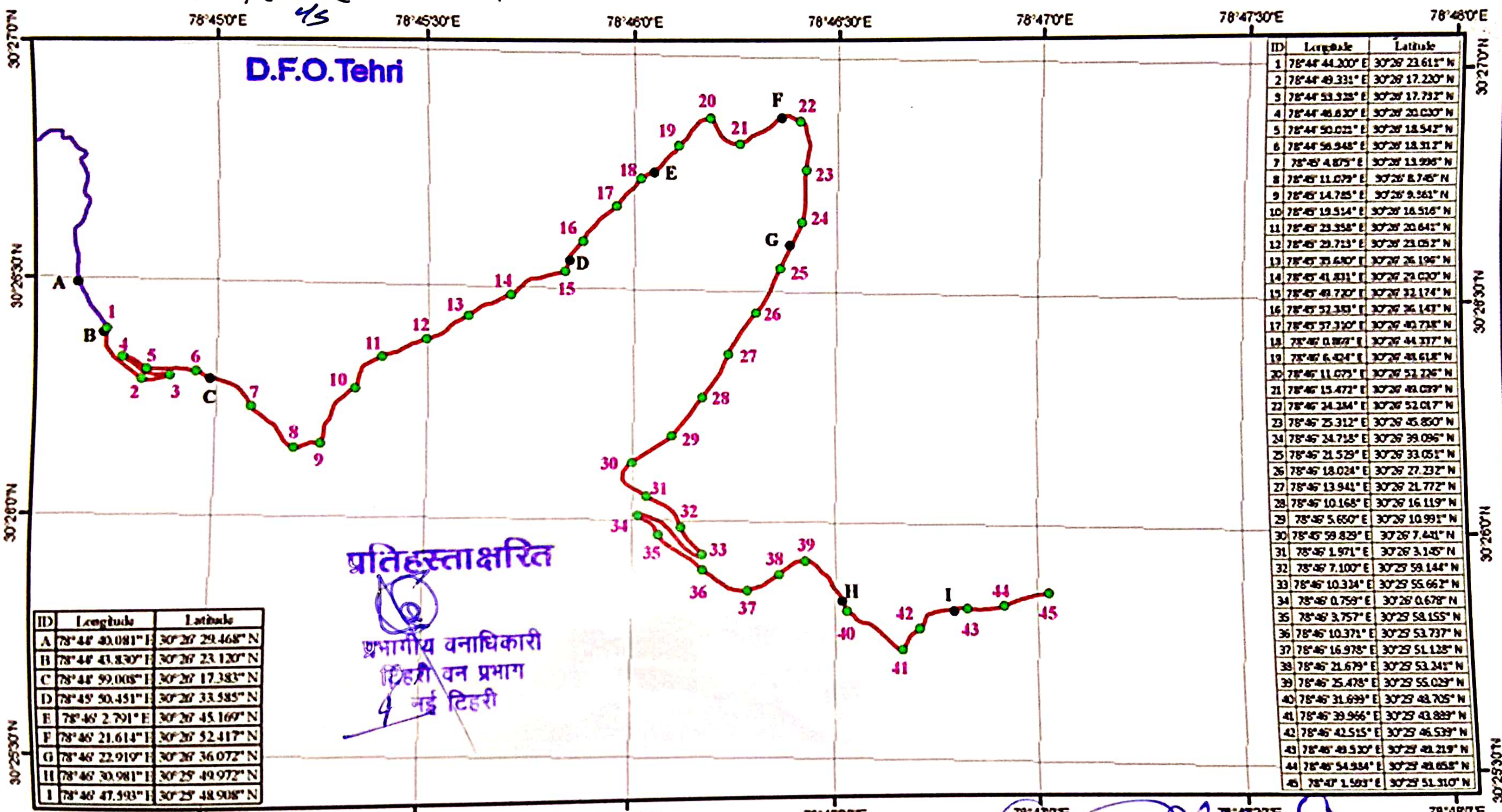

ID	Longitude	Latitude
1	78°44' 44.200" E	30°26' 23.611" N
2	78°44' 49.331" E	30°26' 17.220" N
3	78°44' 53.325" E	30°26' 17.732" N
4	78°44' 46.630" E	30°26' 20.030" N
5	78°44' 50.022" E	30°26' 18.542" N
6	78°44' 56.948" E	30°26' 18.312" N
7	78°45' 4.875" E	30°26' 13.996" N
8	78°45' 11.079" E	30°26' 8.745" N
9	78°45' 14.785" E	30°26' 9.561" N
10	78°45' 19.514" E	30°26' 16.516" N
11	78°45' 23.358" E	30°26' 20.641" N
12	78°45' 29.713" E	30°26' 23.052" N
13	78°45' 35.680" E	30°26' 26.196" N
14	78°45' 41.831" E	30°26' 29.030" N
15	78°45' 49.720" E	30°26' 32.174" N
16	78°45' 52.353" E	30°26' 36.143" N
17	78°45' 57.310" E	30°26' 40.738" N
18	78°46' 0.897" E	30°26' 44.377" N
19	78°46' 6.424" E	30°26' 48.618" N
20	78°46' 11.075" E	30°26' 52.726" N
21	78°46' 15.472" E	30°26' 49.039" N
22	78°46' 24.284" E	30°26' 52.017" N
23	78°46' 25.312" E	30°26' 45.850" N
24	78°46' 24.718" E	30°26' 39.096" N
25	78°46' 21.529" E	30°26' 33.051" N
26	78°46' 18.024" E	30°26' 27.232" N
27	78°46' 13.941" E	30°26' 21.772" N
28	78°46' 10.168" E	30°26' 16.119" N
29	78°46' 5.650" E	30°26' 10.991" N
30	78°45' 59.829" E	30°26' 7.441" N
31	78°46' 1.971" E	30°26' 3.145" N
32	78°46' 7.100" E	30°25' 59.144" N
33	78°46' 10.334" E	30°25' 55.662" N
34	78°46' 0.759" E	30°26' 0.678" N
35	78°46' 3.757" E	30°25' 58.155" N
36	78°46' 10.371" E	30°25' 53.737" N
37	78°46' 16.978" E	30°25' 51.128" N
38	78°46' 21.679" E	30°25' 53.241" N
39	78°46' 25.478" E	30°25' 55.029" N
40	78°46' 31.699" E	30°25' 48.705" N
41	78°46' 39.966" E	30°25' 43.889" N
42	78°46' 42.515" E	30°25' 46.539" N
43	78°46' 48.530" E	30°25' 48.219" N
44	78°46' 54.984" E	30°25' 48.658" N
45	78°47' 1.593" E	30°25' 51.310" N

ID	Longitude	Latitude
A	78°44' 40.081" E	30°26' 29.468" N
B	78°44' 43.830" E	30°26' 23.120" N
C	78°44' 59.008" E	30°26' 17.383" N
D	78°45' 50.451" E	30°26' 33.585" N
E	78°46' 2.791" E	30°26' 45.169" N
F	78°46' 21.614" E	30°26' 52.417" N
G	78°46' 22.919" E	30°26' 36.072" N
H	78°46' 30.981" E	30°25' 49.972" N
I	78°46' 47.593" E	30°25' 48.908" N

Legend

- ● Muck Dumping
- ● GPS Coordinates
- — Proposed Road
- — Existing Road

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी

JE

Executive Engineer
Tempy. Division, P.W.D.
Ghansali, Tehri Garhwal

वन क्षेत्राधिकारी
भिलगना रेंज घनसाली
टि0 व0 प्र0 नई टिहरी

उप जिलाधिकारी
घनसाली

तहसीलदार
घनसाली

जीयोरेफेरेन्स मैप – जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत मैगाधार – आली – सरूणा मोटर मार्ग का चौंरा, करखेडी, कोट घुणातगांव होते हुए चांजी तक विस्तारीकरण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल सरूणा सिविल (क्षेत्रफल 8.820 है०) (लम्बाई 10.450 km)

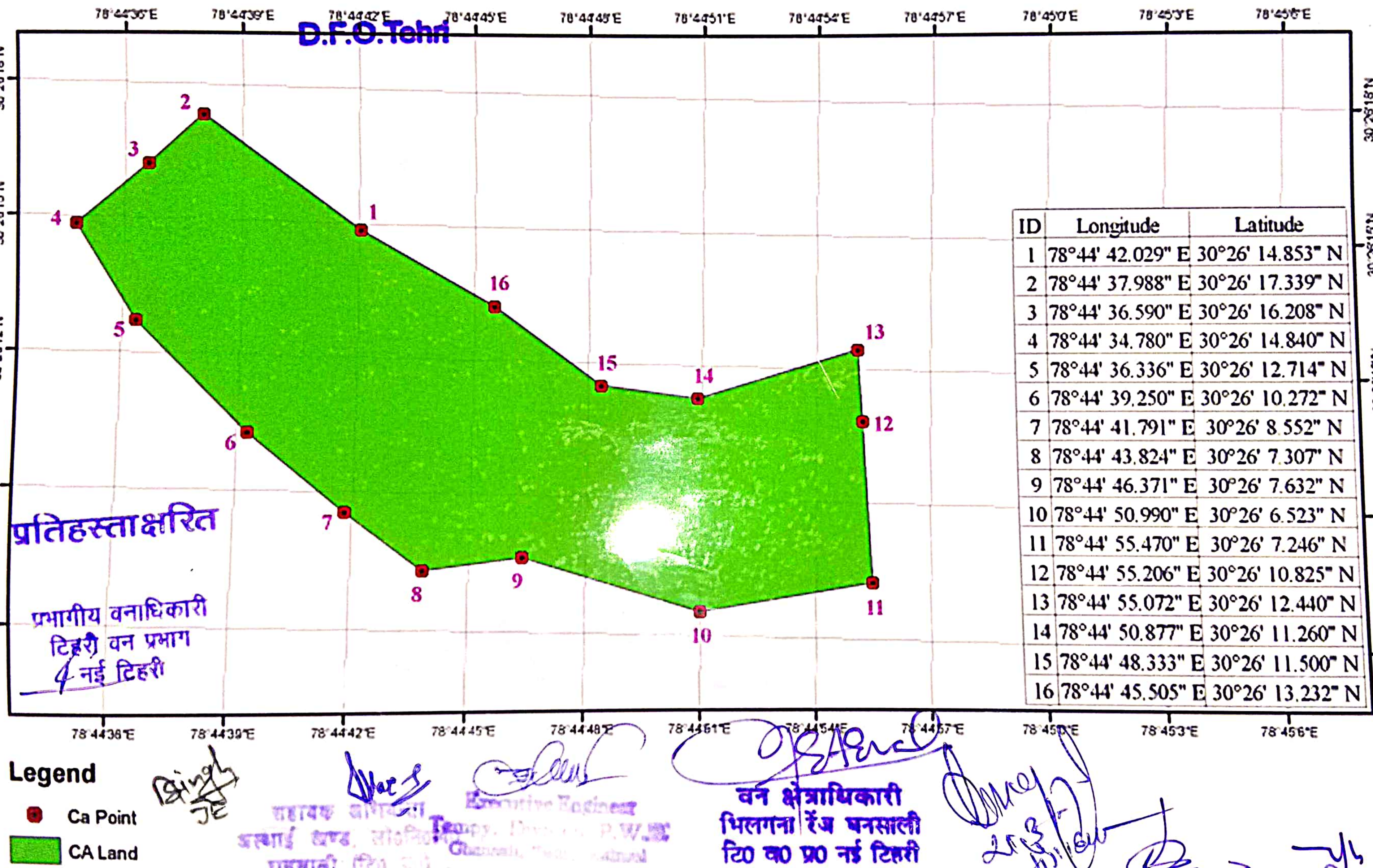

ID	Longitude	Latitude
1	78°44' 42.029" E	30°26' 14.853" N
2	78°44' 37.988" E	30°26' 17.339" N
3	78°44' 36.590" E	30°26' 16.208" N
4	78°44' 34.780" E	30°26' 14.840" N
5	78°44' 36.336" E	30°26' 12.714" N
6	78°44' 39.250" E	30°26' 10.272" N
7	78°44' 41.791" E	30°26' 8.552" N
8	78°44' 43.824" E	30°26' 7.307" N
9	78°44' 46.371" E	30°26' 7.632" N
10	78°44' 50.990" E	30°26' 6.523" N
11	78°44' 55.470" E	30°26' 7.246" N
12	78°44' 55.206" E	30°26' 10.825" N
13	78°44' 55.072" E	30°26' 12.440" N
14	78°44' 50.877" E	30°26' 11.260" N
15	78°44' 48.333" E	30°26' 11.500" N
16	78°44' 45.505" E	30°26' 13.232" N

JE

वन क्षेत्राधिकारी
भिलगना रेंज घनसाली
टि० ग० प्र० नई टिहरी

तहसीलदार
घनसाली
टिहरी गढ़वाल

डिजिटल मैप– जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत मैगाधार – आली – सरूणा मोटर मार्ग का चौंरा, करखेडी, कोट घृणातगांव होते हुए चांजी तक विस्तारीकरण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल (सरूणा। सिविल)

क्षेत्रफल 4.420 हे0 लम्बाई 10.450 km

0 0.5 1 1.5Km

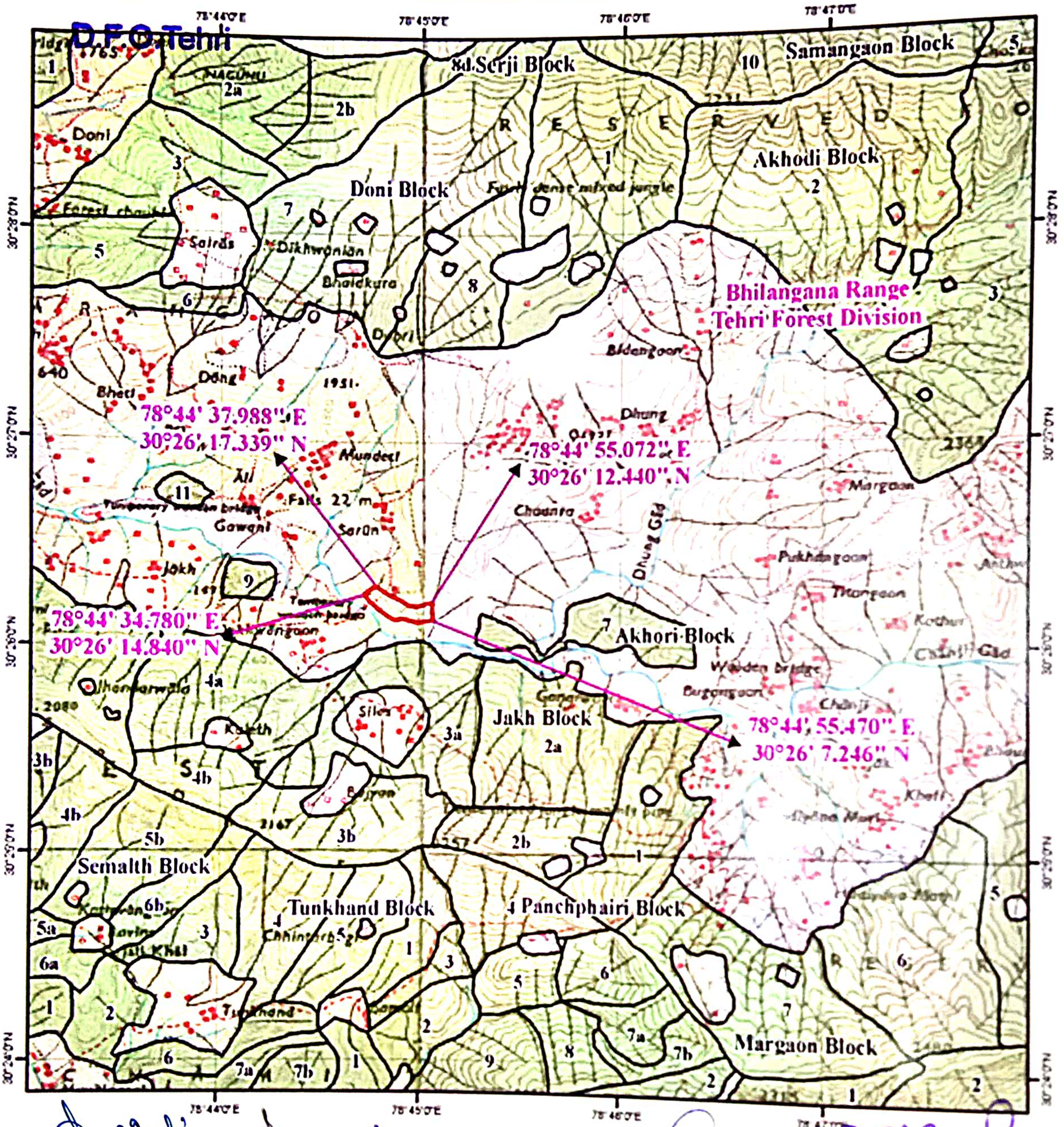

Legend

- Proposed Plantation
- Forest Reserve Boundary
- Forest Reserve Boundary

उप निरीक्षक

सहायक अभियन्ता अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0 घनसाली (टि0 ग0)

Executive Engineer Temporary Division, P.W.D Ghansali, Tehri Garhwal

वन क्षेत्राधिकारी भिलगना रेंज घनसाली टि0 व0 प्र0 नई टिहरी

प्रतिहस्ताक्षरित

तहसीलदार घनसाली टिहरी गढ़वाल

उप जिलाधिकारी घनसाली

प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी वन प्रभाग नई टिहरी